उन्नति विचार

वर्ष : 16 अंक : 2 मई-अगस्त, 2011

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार

- गरीबी: स्वरूप, गणना और बदलते अभिगम 2

नज़रिया

- विकास, न्याय और संविधान 13

आपके लिए

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 15

गतिविधियाँ 21

संदर्भ सामग्री 25

अपने बारे में 28

संपादकीय टीम :

दीपा सोनपाल, बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'UNNATI Organisation for Development Education', अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

गरीबों की गणना गरीबी निवारण हेतु प्रेरक बननी चाहिए

भारत में गरीबों की गणना नये सिरे से करने की शुरूआत हुई है। गणना करने का यह अभिगम 21वीं सदी के आरंभ में बदला। पहले आय एवं व्यय के अभिगम के आधार पर गरीबी की गणना-रेखा तय की जाती थी उसमें खास तौर से कैलरी की शारीरिक जरूरत और उसके लिए अनिवार्य बुनियादी पांच जरूरतों में से सिर्फ अन्न की जरूरत को ही ध्यान में रखा जाता था। अत: आय एवं व्यय के अभिगम के स्थान पर वंचितता का अभिगम ही अपनाया गया, जिसमें अन्य आधारभूत जरूरतों को भी ध्यान में लिया गया।

मानव विकास की गणना और उसके विचार 20वीं सदी के अंतिम दशक में विकसित हुए, परिणामत: वंचितता का अभिगम अधिक लोकप्रिय बना। आर्थिक विकास आखिरकार तो मनुष्य के लिए है और विकास की किसी भी प्रक्रिया में मनुष्य केंद्र में होना चाहिए, यह बात वंचितता के अभिगम में केंद्र स्थान पर हैं। मानव विकास का जो विचार यूएनडीपी द्वारा 1990 के उसके प्रथम विकास प्रतिवेदन में प्रतिपादित किया गया, उस विचार में भी फिर अनेक संशोधन-परिवर्धन होते गए। इसका कारण मानव विकास के सैद्धांतिक चिंतन में आया परिवर्तन है। 2010 का मानव विकास प्रतिवेदन मानव-विकास सूचंकांक के साथ साथ असमानता-सूचकांक के विचार को भी अधिक प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। उसमें भी बहु-आयामी गरीबी सूचकांक का विचार दिया गया है।

भारत में गरीबों की अभी जो गणना हो रही है, उसमें वंचितता का अभिगम अवश्य स्वीकार किया गया है, उसमें 2004-05 की गणना के समय स्वीकृत अभिगम में बदलाव भी किया गया है, लेकिन बहु-आयामी गरीबी के विचार तथा उसकी गणना से वंचितता का अभिगम काफी दूर है। ऐसे समय गरीब की गणना कितनी वास्तविक दशा प्रस्तुत करती हैं, यह एक आधारभूत प्रश्न बन जाता है। भारत में आर्थिक विकास की दर 1950 से 1980 के दशकों की बजाय 2000 से 2010 के दरमियान दुगनी से भी अधिक बढ़ी है। परंतु गरीबों की संख्या तथा गरीबों के प्रतिशत में कोई उल्लेखनीय सुधार नजर नहीं आता, तब निरपेक्ष व सापेक्ष गरीबी को ध्यान में लेकर गरीबों की गणना हेतु नया अभिगम गरीबों की सही दशा को व्यक्त करे, यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि गरीबी संबंधी सही सूचना सरकार को गरीबी निवारण हेतु उचित नीति व योजनाओं अथवा कार्यक्रम बनाने की दिशा में ले जा सके। गरीबों की गणना का उद्देश्य मात्र गणना का नहीं रहना चाहिए, वरन् गरीबी निवारण हेतु सरकार के प्रयासों को हर तरह से सघन बनाने हेतु प्रेरक बनना चाहिए। गरीबों को वंचित या पीड़ित या सीमांत कहने मात्र से लेबल बदलता है, लेकिन उनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता।

गरीबीः स्वरूप, गणना और बदलते अभिगम

भारत में गरीबों की गणना करने हेतु भारत सरकार द्वारा कवायद शुरू की गई है। उसके लिए अपनाये गये विवरण इस आलेख में दिया गया है। **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा लिखे इस आलेख में गरीबी के नये मापदंड, ढांचागत स्वरूप के संदर्भ में चर्चा की गई है और मानव विकास तथा गरीबी के बीच का संबंध स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तावना

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया भर में स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिकी देशों में विकास का मंत्र खूब गूंजा। देश में उत्पादन वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को विकास का मुख्य मापदंड गिना गया और आज भी ऐसा समझा जाता है कि यह मापदंड विकास को मापने के लिए तथा गरीबी के अस्तित्व को मापने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।

उत्पादन वृद्धि दर 1950 और 1960 के दशकों के दौरान इन देशों में बहुत कम रही। भारत जैसे देश में 1950 से 1980 के दौरान जीडीपी (सकल घरेलू उत्पादन) की वृद्धि दर लगभग 3 से 3.5 प्र.श. रही थी। जाने माने अर्थशास्त्री प्रो. राजकृष्ण के द्वारा इतनी कम वृद्धि दर को 'हिन्दू वृद्धि दर' के रूप में व्यक्त किया गया और यह ताना मारा गया था कि देश इस वृद्धि दर से बाहर निकलता ही नहीं।

1980 से 2000 की समयावधि के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 5.5 प्रतिशत रही और 2000 से 2010 की समयावधि के दौरान लगभग 7.2 प्रतिशत रही। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की 2007-12 की समयावधि के दौरान जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान 8 प्रतिशत लगाया गया और बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा इस समय तैयार हो रहा है, तब उसमें जीडीपी की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9 प्रतिशत के करीब रहने का अनुमान किया गया है।

इतनी ऊंची वृद्धि दर को हासिल कर लेने के बाद भी भारत में गरीबी में अपेक्षित कमी नहीं दिखी, यह बात हर किसी के चुभ रही है। ऐसा कहा जाता है कि 1947 में भारत की जितनी आबादी थी, उससे भी अधिक मात्रा में इस समय गरीब हैं। यह सच्चाई गरीबी के बारे में बदलते हुए विचार को समझने को बाध्य करती है।

गरीबी निवारण में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा गरीबों की असहायता घटाने का है। जितनी मात्रा में असहायता घटती है, उतनी मात्रा में गरीबी घटती है। भारत में बालक, महिलाएं, कृषि मजदूर, औद्योगिक मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, स्व-रोजगार करने वाले लोग, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूर, आकस्मिक मजदूर, कारीगर, सफाई कर्मचारी आदि गरीब हैं। यदि जातिगत तंत्र को ध्यान में लें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग गरीब हैं।

गरीबी की गणना हेतु सिर्फ आय और व्यय के अभिगम को नहीं, वरन् वंचितता के अभिगम के आधार पर गणना करने की शुरूआत 21वीं सदी के आरंभ में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 2002-03 के दौरान वंचितता के अभिगम के आधार पर गरीब परिवारों की वंचितता मापने के लिए 13 मापदंडों का उपयोग किया गया था। उसका ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है।

वंचितता के अभिगम को अब नया स्वरूप दिया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की संख्या जानने के लिए इस वर्ष नये सिरे से गणना की जा रही है। भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के गरीबी निवारण व रोजगार सर्जन एवं विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान करने हेतु गरीबों की पहचान करने के लिए यह गिनती बहुत उपयोगी है।

सामान्य तौर पर यह गणना बीपीएल सेंसस के रूप में जानी जाती

हैं। 2002-03 में ऐसी ही गणना की गई थी, जिसकी बहुत गंभीर सीमाएं थीं। अतः भारत सरकार ने डॉ. एन. सी. सक्सेना की अध्यक्षता में जिस विशेषज्ञ समूह का गठन किया था, उसे अगस्त 2009 में की गई सिफारिशों के आधार पर गरीबों की यह गणना की जा रही है। यह गणना शुरू करने से पूर्व प्रायोगिक स्तर पर जो मापदंड सुझाए गए थे, उनका उपयोग करके प्रायोगिक स्तर पर गणना की गई थी। इस प्रायोगिक गणना के परिणामों के आधार पर इस समय सर्वे किया जा रहा है। इस संबंध में जो नये मापदंड सामने आये हैं, उनका ब्यौरा तालिका-2 में दिया गया है। भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा इस गणना को सामाजिक-आर्थिक सर्वे का नाम दिया गया है। उसमें प्रत्येक परिवार के और प्रत्येक गांव के विवरण प्राप्त किये जाते हैं।

गरीबों की गणना 2011

भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा भारत में गरीबी की गणना का कार्य जून 2011 से दिसंबर 2011 के दौरान हो रहा है।

गरीबी की गणना हेतु परिवार प्राप्त की जाने वाली सूचनाएं:

1. **शिक्षणः** शिक्षण के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, उनमें परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने सर्वाधिक कितना शिक्षण प्राप्त किया है और उसके पास उससे संबंधित प्रामणपत्र हैं या नहीं इसका ब्यौरा प्राप्त किया जाता है।

2. **ग्राम से बाहर रहने वाले व्यक्तिः** परिवार के कितने व्यक्ति गांव से बाहर रहते हैं और गांव से बाहर रहने के कारणों की भी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके उपरांत, यह जानकारी भी मांगी जाती है कि एक वर्ष के दौरान उसने परिवार को कोई वित्तीय मदद दी अथवा खुद उसने परिवार से आर्थिक मदद प्राप्त की।

3. **विकलांगता और स्थायी बीमारीः** परिवार का कोई व्यक्ति विकलांग है या नहीं, उसके पास विकलांगता प्रमाणपत्र है या नहीं तथा क्या कैंसर, एड्स, टीबी, रक्तपित्त, सिलिकोसिस और ऐसे ही अन्य रोग से व्यक्ति पीड़ित हैं के बारे में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं।

तालिका-1
2003-03 में गरीबों की गणना हेतु ध्यान में लिये गए वंचितता के मापदंड

भारत में पिछले 2002-03 में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों की गणना की गई थी। भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2002 में इस गणना हेतु जो मार्गदर्शक प्रकाशित किये गए थे, उनमें गरीबों की गणना हेतु निम्नानुसार मापदंड सुझाये गए थे:

(1) जमीन धारण का आकार (2) घर का प्रकार (3) कपड़ों की औसत प्राप्ति (4) अन्न सुरक्षा (5) सफाई (6) काम में ली जाने वाली वस्तुओं का स्वामित्व (7) सर्वाधिक साक्षर प्रौढ़ व्यक्ति का साक्षरता दर्जा (8) परिवार का श्रम संबंधी दर्जा (9) जीवन निर्वाह के साधन (10) बालकों की स्थिति (11) कर्ज का प्रकार (12) परिवार से स्थलांतरण का कारण (13) सहायता हेतु प्राथमिकता

प्रत्येक मापदंड में 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ब्यौरे दिये गए थे। ये अंक प्रत्येक ब्यौरे के स्कोर थे। याने प्रत्येक परिवार शून्य से 52 के बीच कोई स्कोर प्राप्त करेगा। तदुपरांत योजना आयोग ने यह निर्धारण किया कि 16 या उससे कम स्कोर प्राप्त करने वाले गरीब हैं।

4. **आयः** समग्र परिवार जिस स्रोत से आय प्राप्त करता है, उसकी सूचना प्राप्त की जाती है। विगत एक वर्ष के दौरान जो आय का मुख्य स्रोत रहा उसका विवरण प्राप्त किया जाता है।

5. **रोजगारः** परिवार का कोई व्यक्ति विगत एक वर्ष के दौरान वेतन वाली नौकरी में है या हीं, इसकी सूचना प्राप्त की जाती है। इसके उपरान्त, प्रत्येक व्यक्ति के काम के प्रकार, मासिक आय, वेतन भुगतान की पद्धति सरकारी नौकरी या निजी नौकरी और उसका प्रकार आदि विवरण प्राप्त किये जाते हैं।

6. **गैर-कृषि उद्यम या सेवाः** यह पूछा जाता है कि परिवार का कोई व्यक्ति गैर-कृषि उद्यम या सेवा का मालिक है या नहीं। ऐसे

उद्यम या सेवा का स्वरूप, उससे मिलने वाली शुद्ध मासिक आय, उसमें कर्मचारी रखे जाते हैं या नहीं, सरकार में उसका पंजीकरण कराया हुआ है या नहीं, वह सरकारी या निजी कोंट्रेक्टर है या नहीं, यदि सरकारी कोंट्रेक्टर है तो किस प्रकार का है, इसका विवरण प्राप्त किया जाता है।

7. **कराधानः** परिवार का कोई व्यक्ति आय कर, व्यवसाय कर या सेवा कर चुकाता है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है।

8. **व्यक्ति का दर्जाः** यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि परिवार का कोई व्यक्ति स्वरोजगारधारी व्यवसायी, स्वयं सहायता समूह का सदस्य, मुक्त बंधुआ मजदूर या सहायक मजदूर है या नहीं।

9. **सार्वजनिक कार्यक्रमों में सहभागिताः** परिवार के पास राशन कार्ड है या नहीं और है तो किस प्रकार का है, इसकी सूचना

तालिका-2
बीपीएल की गणना-2011: नये मापदंड़

भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने अगस्त, 2008 में गरीबों की पहचान की पद्धति तैयार करने हेतु डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। उसने अगस्त, 2009 में अपना प्रतिवेदन सौंप दिया। उसमें तीन बातें बताई गईं:

1. किसे बीपीएल न मानें?

- जिसके पास दुपहिये, तिपहिये, चार पहिये वाले वाहन हों या मछली पकड़ने के लिए यांत्रिक बोट हो।
- जिसके पास ट्रेक्टर, हार्वेस्टर जैसे खेती के साधन हों।
- जिसके पास 50,000 रु. या उससे अधिक ऋण की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड हो।
- जिस परिवार का कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारी उद्यम या सरकारी सहायता से संचालित स्वायत्त संस्था या स्थानीय स्वशासी संस्था का कर्मचारी हो।
- जिसका गैर-कृषिगत उद्यम सरकार में दर्ज हो।
- जिस परिवार का कोई व्यक्ति प्रतिमाह 10,000 रु. से अधिक राशि कमाता हो।
- जिस परिवार के पास तीन या उससे अधिक कमरों का घर हो और उन सबकी दीवारें और छतें पक्की हों।
- जिस परिवार के पासे रेफ्रिजरेटर व लैंडलाइन फोन हो।
- जिस परिवार के पासे ढाई एकड़ से अधिक सिंचित जमीन हो और डीजल इंजन या बिजली से चलने वाला बोरवेल या ट्यूबवेल हो।
- पांच एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि हो और दो या ज्यादा फसलें ली जाती हों।
- जिस परिवार के पास 7.5 एकड़ या उससे अधिक जमीन हो और डीजल इंजन या बिजली चालित बोरवेल या ट्यूबवेल हो।

2. बीपीएल में समावेश हेतु किसे प्राथमिकता दें?

- आश्रय-विहीन परिवार।
- निराश्रित या सहायता पर जीने वाले परिवार।
- सिर पर मैला ढोने वाले।
- आदिम जाति समूह
- कानूनी तौर पर मुक्त कराये बंधुआ मजदूर

3. वंचितता के मापदंडों के अनुसार अन्य परिवारों का समावेश

- जिस परिवार के पास कच्ची दीवारों व कच्चे छप्पर का एक कमरे का घर हो।
- जिस परिवार में 16 से 59 की आयु के कोई व्यक्ति न हों।
- जिस परिवार की मुखिया महिला हो, और जिसमें 16 से 59 वर्ष का कोई पुरुष न हो।
- जिस परिवार में विकलांग व्यक्ति हो और वयस्क सामान्य व्यक्ति न हों।
- भूमिहीन परिवार या जो अपनी अधिकांश आय शारीरिक आकस्मिक मजदूरी से प्राप्त करता हो।

प्राप्त की जाती है। इसके उपरांत, 2006-08 से 2009-10 तक परिवार के किसी व्यक्ति ने नरेगा के तहत काम किया या नहीं। यदि किया तो कितने दिन, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तीन से छः वर्ष के बालक आंगनबाड़ी जाते हैं या नहीं, परिवार के किसी व्यक्ति को पेंशन मिलती है या नहीं, यदि मिलती है तो इसका प्रकार और मासिक राशि का ब्यौरा प्राप्त किया जाता है।

10. जमीन का स्वामित्वः जमीन कितने टुकड़े में है, जमीन का स्वामित्व है या नहीं, जमीन का कब्जा है, पर मालिकी है या नहीं, जमीन सिंचित है या असिंचित, जमीन खेती की है या बिन खेती की बागानी जमीन है या नहीं, इसकी सूचना प्राप्त की जाती है। इस मापदंड में घर के अलावा जमीन का समावेश होता है।

11. घरः घर में कितने कमरे हैं और घर कच्चा है या आधा कच्चा या पक्का है, इसका विवरण प्राप्त किया जाता है। उसमें बिजली और नल द्वारा पानी की व्यवस्था है या नहीं और घर

तालिका-3
बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से भारत

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनाईटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम-यूएनडीपी) द्वारा जारी मानव विकास प्रतिवेदन 2010 के अनुसार बहुआयामी गरीबी इंडेक्स (मल्टीडाइमेंशनल पावर्टी इंडेक्स-एमपीआई) गरीबी का सही माप प्रदान करता है। यह सूचकांक शून्य से एक के बीच दर्शाया जाता है। सूचकांक अधिक, तो गरीबी अधिक। इस सूचकांक की दृष्टि से दुनिया में भारत का क्रम 119वां है। इस सूचकांक में नीचे की तीन बातों पर ध्यान दिया जाता हैः

1. शिक्षण

- ऐसा परिवार जिसमें किसी ने भी पांच वर्ष का शालायी शिक्षण पूरा न किया हो।
- ऐसा परिवार जिसमें शाला जाने के लिए न्यूनतम आयु के निर्धारित बालक का पंजीकरण नहीं किया हो।

2. स्वास्थ्य

- ऐसा परिवार जिसमें कम से कम एक सदस्य कुपोषण से पीड़ित हो।
- ऐसा परिवार जिसमें कुपोषण के कारण एक से अधिक बालक मरे हों।

3. जीवन स्तर

- बिजली न हो।
- शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है।
- सफाई की पर्याप्त व्यवस्था न हो।
- घर में फर्श मिट्टी का हो।
- जलावन के लिए लकड़ी, कोयलों या छाणों का उपयोग होता हो।
- जिसके पास कार नहीं हो, पर साइकिल, मोटरसाइकिल, रेडियो, फ्रिज, फोन या टीवी में से कोई एक वस्तु हो।

उपर्युक्त विवरण की दृष्टि से भारत की स्थिति (2000-08) निम्नानुसार हैः

(1) बहुआयामी गरीबी सूचकांक	0.296
(2) बहुआयामी गरीबी के जोखिम वाली आबादी (प्रतिशत)	16.1
(3) शिक्षण के किसी एक पहलू में भारी वंचितता वाले व्यक्ति (प्रतिशत)	37.5
(4) स्वास्थ्य में किसी एक पहलू में भारी वंचितता वाली आबादी (प्रतिशत)	56.5
(5) जीवन स्तर में किसी एक पहलू में भारी वंचितता वाली बस्ती (प्रतिशत)	58.5
(6) रोजाना 1.25 डॉलर से कम आय वाली बस्ती (प्रतिशत)	41.6
(7) बहुआयामी गरीबी वाली बस्ती (प्रतिशत)	55.4

स्रोतः मानव विकास प्रतिवेदन 2010, पृष्ठ संख्या 162 और 221-22

आपके स्वामित्व का है या नहीं, इत्यादि जानकारियां भी प्राप्त की जाती हैं।

12. पशुओं का स्वामित्वः परिवार के पास गाय, भैंस, बैल, ऊंट, घोड़ा, गधा, सुअर, बकरी, भेड़े, मुर्गी आदि कितनी हैं और कितने पशुओं का व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। इसका विवरण लिया जाता है।

13. अन्य सम्पत्तिः वाहन, बोरवेल, ट्रेक्टर, सिलाई मशीन, रसोई गैस, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, फ्रिज, ए.सी., रेडियो, टीवी, पंखा, डीजल इंजन, लेपटॉप, मिक्सर, बायोगैस, जेनरेटर जैसी 39 वस्तुएं पास है या नहीं। वे परिवार के स्वामित्व की हैं या नहीं। उनके लिए सरकार से कोई लाभ मिला या नहीं और उनका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जाता है या नहीं, ये विवरण प्राप्त किये जाते हैं।

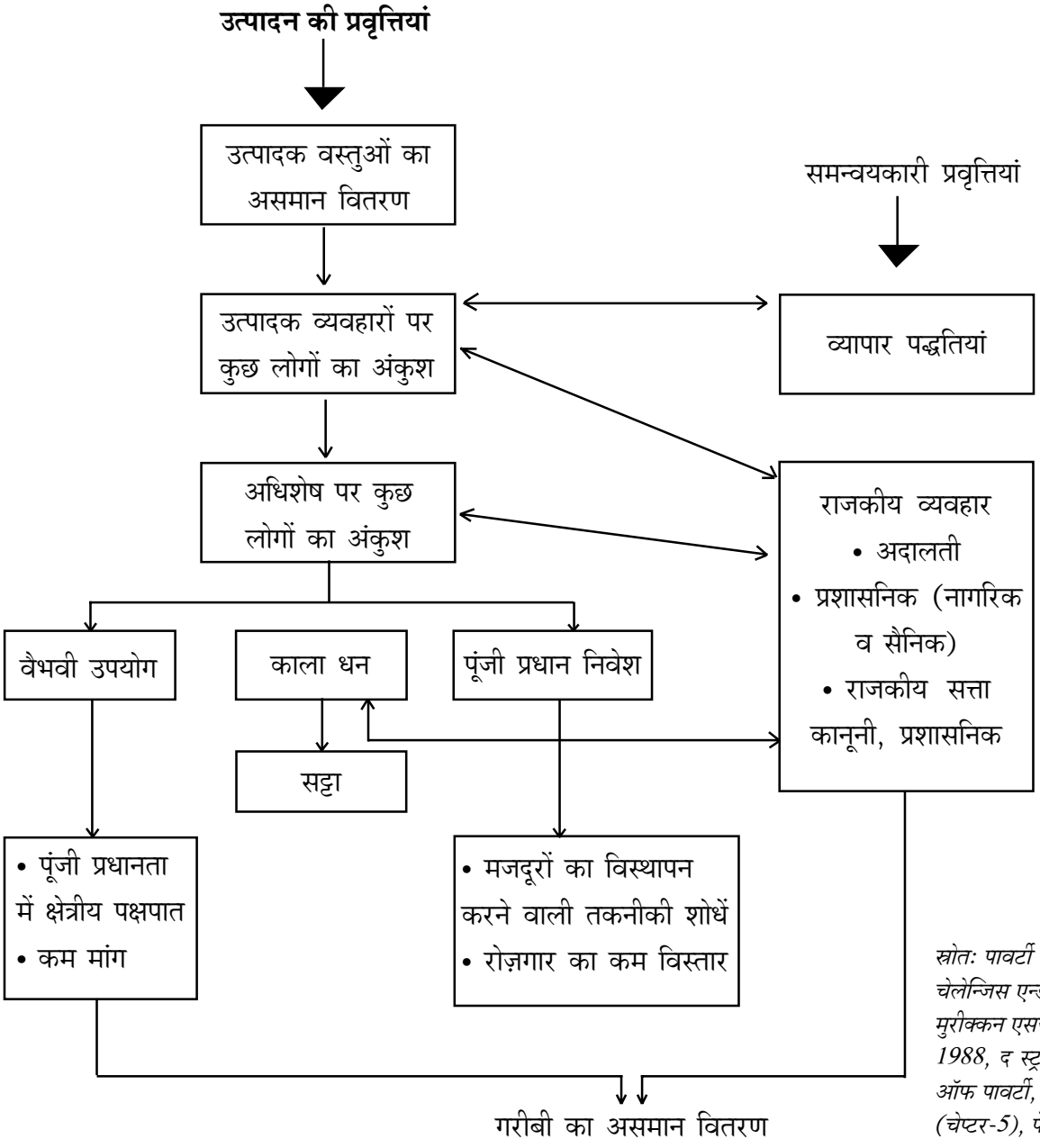

स्रोतः पावर्टी इन इन्डियाः चेलेन्जिस एन्ड रिस्पोन्सिस, जे. मुरीक्कन एसजे संपादित, 1988, द स्ट्रक्चरल नेचर ऑफ पावर्टी, फ्रेंको एसजे (चेप्टर-5), पेज-64

14.वित्तीय संपत्तिः परिवार के सदस्यों के पास जीवन बीमा पॉलिसी, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते जैसी बचत और बचत राशि आदि का विवरण प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा परिवार ने कोई संस्थागत या गैर-संस्थागत ऋण लिया है या नहीं, और लिया हो तो ब्याज सहित कितनी राशि बाकी है, इसका ब्यौरा प्राप्त किया जाता है।

गरीबी की गणना हेतु प्राप्त की जाने वाली गांव की सूचनाः
इस कार्य हेतु एक अलग पत्रक में हर गांव की सूचना प्राप्त की जाती है, उसमें निम्न बातों का समावेश होता है।

(1) ग्राम संबंधी बुनियादी जानकारीः उसमें निराधार परिवारों, भूमिविहीन परिवारों, विकलांग व्यक्ति वाले परिवारों, कृषि योग्य भूमि, सिंचित भूमि, सामुदायिक भूमि, गटर की व्यवस्था, पेयजल स्रोत, महत्त्वपूर्ण फसलों, आदि की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा, गांव को, विद्युतीकरण और बिजली की नियमित प्राप्ति का ब्यौरा मांगा जाता है। इसके अलावा गांव की गटर व्यवस्था, पिछले वर्ष के दौरान फसल कटाई के समय स्त्री और पुरुष की वेतन दर, नरेगा के तहत वेतन दर, अकुशल मजदूरों की वेतन दर और गत एक वर्ष के दौरान आई कोई विपदा या महामारी की सूचना भी प्राप्त की जाती है।

(2) गांव में विद्यमान सुविधाएंः गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्यता जानने के लिए निजी डॉक्टर, ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता,

तालिका-4
गरीबी का ढांचागत स्वरूप

विख्यात अर्थशास्त्री समझाते हैं कि गरीबी मुख्य दो परिबलों पर आधारित रहती है: कितनी सम्पत्ति का स्वामित्व है और दूसरा विनिमय की सामर्थ्य, अर्थात् जो सम्पत्ति है, उनके द्वारा क्या और कितनी मात्रा में बाजार से खरीद की जा सकती है। गरीबी का ढांचागत स्वरूप निम्नानुसार है कि जो 'जैसे थे' वैसी स्थिति में हैं और शक्तिशाली लोगों को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं:

(1) सम्पत्ति और आय का असमान बंटवाराः गरीब भूमिविहीन होते हैं अथवा उनके पास जो जमीन होती है वह अनुपजाऊ होती है। औद्योगिक सम्पत्ति थोड़े लोगों के हाथ में होती है और उदारीकरण की वजह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान सम्पत्ति पर मजबूती अंकुश रखते हैं। सम्पत्ति का ऐसा असमान वितरण आय के असमान प्रवाह को जन्म देता है।

(2) मानव पूंजी की असमानताः मानव पूंजी अर्थात् मनुष्य की गुणवत्ता, प्राप्त कौशल और मनुष्य का स्वास्थ्य। यह सामान्यतया स्वास्थ्य और शिक्षण जैसी बुनियादी जरूरतों के अवसरों की प्राप्ति द्वारा या उनकी पहुंच द्वारा तय होती है। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशकों में बाल मृत्युदर, आयुष्य, स्वास्थ्य व शिक्षण की सेवाओं का निजीकरण हो रहा है और उससे गरीबी व सेवाएं बाजार से खरीदने जैसी नहीं।

(3) रोजगार के अवसरों की समानताः गरीबों में से अधिक लोग अकुशल या अर्धकुशल लोग हैं। उनके पास सिर्फ श्रमशक्ति ही है। उसके द्वारा वे अन्न व जीवन की अन्य जरूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। बेकारी या अर्धबेकारी गरीबी का एक महत्त्वपूर्ण कारण है। स्त्रियों के पुरुषों के बीच, संगठित या असंगठित क्षेत्रों के बीच, मध्यम वर्ग और समृद्ध वर्ग के बीच, ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के बीच रोजगार के अवसरों का वितरण असमान है। वैश्वीकरण के असर के परिणाम से सार्वजनिक क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, अधिक से अधिक मजदूर अनुबंध के आधार पर कम वेतन वाले रोजगार पाते हैं कि जिनमें महिलाएं विशेष हैं।

(4) प्रतिकूल विनिमय समर्थताः सुरक्षित रोजगार के स्रोत घट रहे हैं अतः रोजगार के अवसर घट रहे हैं। क्रय शक्ति या विनिमय की समर्थता को वे घटा रहे हैं। परिणामतः उनकी सम्पत्ति या आय के साथ-साथ उन्हें जो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त हुई हैं, उनमें भी कमी हो रही है। भाव बढ़ें, परोक्ष कर बढ़ें, और कानून का प्रभावी अमल न हो, तब भी गरीबों की विनिमय सामर्थ्य घटती है।

तालिका-5
भारत में गरीबों की गणना की पद्धति

भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का अनुमान लगाने का काम योजना आयोग करता है। उसके लिए नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा विशाल स्तर पर पारिवारिक खर्च का सर्वे किया जाता है। वह सामान्यतया हर पांच वर्ष में किया जाता है। इसके लिए वर्तमान में दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं:

यू.आर.पी. पद्धति

यू.आर.पी. पद्धति को यूनिफोर्म रिकोल पीरियड के रूप में जाना जाता है। इसमें तमाम वस्तुओं पर उपयोग में आने वाले खर्च की सूचना पिछले तीन दिनों हेतु प्राप्त की जाती है।

एम.आर.पी. पद्धति

एम.आर.पी. पद्धति मिक्स्ड रिकोल पीरियड के रूप में जानी जाती है। इसमें विगत 365 दिनों की अवधि हेतु वस्त्रों, जूतों, टिकाऊ उपयोगी वस्तुओं, शिक्षण तथा संस्थागत मेडिकल व्यय, संबंधी सूचना प्राप्त की जाती है और शेष उपयोग में आये खर्च की सूचना पिछले 30 दिनों हेतु प्राप्त की जाती है।

स्रोतः इकोनोमिक सर्वे 2010-11, भारत सरकार

आशा कार्यकर्त्ता, दाई, चल दवाखाने आदि के सुविधा ज्ञात की जाती है। इसके साथ ही केबल सेवा, सामुदायिक टीवी, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, महिला मंडल, सिंचित मंडल आदि को भी जाना जाता है।

(3) महत्त्वपूर्ण सुविधाएं कितनी दूरी पर हैं?: कुल 45 प्रकार की सुविधाएं पहचानी गई हैं और इनमें शैक्षणिक व स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के उपरांत अन्य अनेक प्रकार की सुविधाओं का समावेश किया गया है। इन सुविधाओं में बस स्टॉप, रेल्वे स्टेशन, थोक बाज़ार, पक्का रास्ता, उचित दर की दुकान, बैंक, पोस्ट ऑफिस, थियेटर, सहकारी ऋण मंडल, दूध उत्पादक मंडल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। ये सुविधाएं गांव के अंदर है या बाहर। गांव से बाहर हैं तो कितनी दूरी पर हैं।

(4) सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थी: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पिछले वर्ष में कितने परिवारों को गांव में लाभ प्राप्त हुआ, उसका विवरण प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना और विकलांगता पेंशन योजना के तहत जितने व्यक्ति लाभार्थी हैं, उनका विवरण प्राप्त किया जाता है।

(5) गांव के मोहल्लों के बारे में सूचना: गांव में कितने मोहल्ले हैं, उनमें कितने परिवार हैं, वे किस मुख्य सामाजिक समूह के हैं, उनका मुख्य धर्म क्या है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है और मोहल्लों में किस प्रकार के रास्ते हैं, उनका विवरण प्राप्त किया जाता है। परिवार संबंधी तथा ग्राम संबंधी उपर्युक्त जानकारी के अलावा परिवार व ग्राम के संबंध में सामान्य जानकारी तो प्राप्त की ही जाती है। इन दोनों प्रकार के पत्रकों से कोई परिवार गरीब है या नहीं, इसकी जानकारी तो प्राप्त होती ही है, परंतु साथ ही साथ कोई एक गांव विशेष गरीब है या नहीं, इसकी भी जानकारी मिलती है।

मानव विकास और गरीबी

(1) आय के अभाव में गरीबी

परंपरागत दृष्टि से गरीबी को आय के अभाव अथवा क्रय शक्ति के अभाव के रूप में देखा जाता है कि जिसमें व्यक्ति या परिवार बुनियादी जरूरतें प्राप्त नहीं कर सकता। आय गरीबी को निरपेक्ष व सापेक्ष दोनों संदर्भों में देखा जाता है। यह बात बुनियादी जरूरतों का व्याख्या पर आधारित है। निरपेक्ष गरीबी के संदर्भ में सामान्यतया प्रति व्यक्ति आय या खर्च हेतु निश्चित राशि तय करके गरीबी की रेखा तय की जाती है। सापेक्ष रूप से गरीबी की गणना हेतु बुनियादी जरूरतें ध्यान में ली जाती हैं। सापेक्ष गरीबी का सामान्यतया आय के वितरण के साथ संबंध है। इस अभिगम में गरीबी को वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्यता व पहुंच के संदर्भ में देखा जाता है। विकट गरीबी का अर्थ यह होता है कि किसी परिवार या व्यक्ति को अत्यंत कम वस्तुएं व सेवाएं प्राप्त होती है। यह संभव है कि

तालिका-6

बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से भारत में गरीबी की प्रतिशतता (2010)

	राज्य	बहुआयामी गरीबी सूचकांक	कुल आबादी में गरीबों की प्रतिशतता
1.	केरल	0.065	15.9
2.	गोवा	0.094	21.7
3.	पंजाब	0.120	26.2
4.	हिमाचल प्रदेश	0.131	31.0
5.	तमिलनाडु	0.141	32.4
6.	महाराष्ट्र	0.193	40.1
7.	उत्तराखंड	0.189	40.3
8.	गुजरात	0.205	41.5
9.	हरियाणा	0.199	41.6
10.	जम्मू-कश्मीर	0.209	43.8
11.	आंध्र प्रदेश	0.211	44.7
12.	कर्नाटक	0.223	46.1
13.	भारत के उत्तरपूर्वी राज्य	0.303	57.6
14.	पश्चिम बंगाल	0.317	58.3
15.	उड़ीसा	0.345	64.0
16.	राजस्थान	0.351	64.2
17.	मध्य प्रदेश	0.389	69.5
18.	उत्तर प्रदेश	0.386	69.9
19.	छत्तीसगढ	0.387	71.9
20.	झारखंड	0.463	77.0
21.	बिहार	0.499	81.4
	भारत	0.296	55.4

स्रोत: ओक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनीशियेटिव

कई पीढ़ियों से परिवार या व्यक्ति ऐसी गरीबी सहन करते हों। यह संभव है कि ऐसी लंबी अवधि की गरीबी के परिणामस्वरूप सामाजिक वंचितता पैदा होती है।

(2) मानव विकास की दृष्टि से गरीबी

गरीबी को मानव विकास की दृष्टि से भी देखा जाता है। इसमें अत्यधिक गरीबी को अत्यधिक अथवा तीव्र वंचितता के रूप में देखा जाता है। इसमें यह महत्त्वपूर्ण है कि मानव विकास से कोई व्यक्ति या परिवार वंचित रह जाए। गरीबी विषयक साहित्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को मात्र आर्थिक वंचितता के संदर्भ में नहीं वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक वंचितता के संदर्भ में भी गिना जाता है। अत: गरीबी विषयक विचार में मात्र

तालिका-7
भारत में गरीबी की प्रतिशतता

(अ)	**योजना आयोग**			
1.	**यूआरपी पद्धति**	**1993-94**	**1999-2000**	**2004-05**
	1. ग्रामीण	37.3		28.3
	2. शहरी	32.4		25.7
	3. कुल	36.0		27.5
2.	**एमआरपी पद्धति**			
	1. ग्रामीण		27.1	21.8
	2. शहरी		23.6	21.7
	3. कुल		26.1	21.8
(आ)	**तेंदुलकर समिति**			
1.	**एम.आर.पी. पद्धति**			
	1. ग्रामीण	50.1		41.8
	2. शहरी	31.8		25.7
	3. कुल	45.3		37.2

स्रोतः इकोनोमिक सर्वे, 2010-11, भारत सरकार

आय का मापदंड नहीं, पर इसमें अन्य अनेक मुद्दों का समावेश हुआ है। ऐसे में सिर्फ आय को बढ़ाने की नीति ही लोगों के सुख को अधिकतम करने की नीति नहीं हो सकती, ऐसा बारंबार स्वीकार किया गया है। नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्यसेन ने मानव विकास के निर्देशकों को मनुष्य को सुखी बनाने के घटक के रूप में मानने हेतु तर्क प्रदान किया है।

अतः गरीबी की बहुआयामी व्याख्या स्वीकार की जा रही है। यह व्याख्या क्या है, उसका विवरण मानव विकास प्रतिवेदन 2010 में दिया गया है। इस मापदंड विषयक सूचना तालिका-4 में दी गई है।

यहां बहुआयामी गरीबी को समर्थता (केपबिलिटी) की वंचितता के रूप में देखा जाता है। यहां समर्थता का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जो कुछ होने या करने को लेकर जो चुनाव करता है उसके संदर्भ में वह मूल्य गिना जाता है और वैसा जीवन जीने की स्वतंत्रता या क्षमता व्यक्ति के पास है या नहीं इस तरह से देखने पर भारी गरीबी याने ऐसी असमर्थता की भारी वंचितता ऐसी स्वतंत्रता की भूमिका घटकरूप भी है और साधन रूप भी है। उदाहरणार्थ स्वास्थ्यप्रद जीवन की ओर ले जाती व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के सुख का घटक तत्त्व है, पर वह साधन रूप घटक भी है, क्योंकि वह व्यक्ति को काम करने की स्वतंत्रता अथवा बदलाव का स्वतंत्रता देता है।

इसका अर्थ यह है कि समर्थता की गरीबी अर्थात् बुनियादी समर्थताओं से वंचित होना। इसमें आय-गरीबी और मानव विकास की गरीबी दोनों का समावेश घटकरूप और साधन रूप संदर्भ में होता है। गरीबी को मानव विकास के साथ जोड़ने के संदर्भ में मानव विकास सूचकाक की विभावना उत्पन्न हुई और उसमें आयुष्य, ज्ञान और जीवनस्तर को बुनियादी घटकों के रूप में देखा गया।

(3) सामाजिक वंचितता और गरीबी

सामाजिक वंचितता का गरीबी के साथ संबंध है। विशेष रूप से आय गरीबी में सापेक्ष गरीबी के विचार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक वंचितता कई बार आय के स्तर और मानव विकास के विविध निर्देशकों को विपरीत रूप से प्रभावित करती

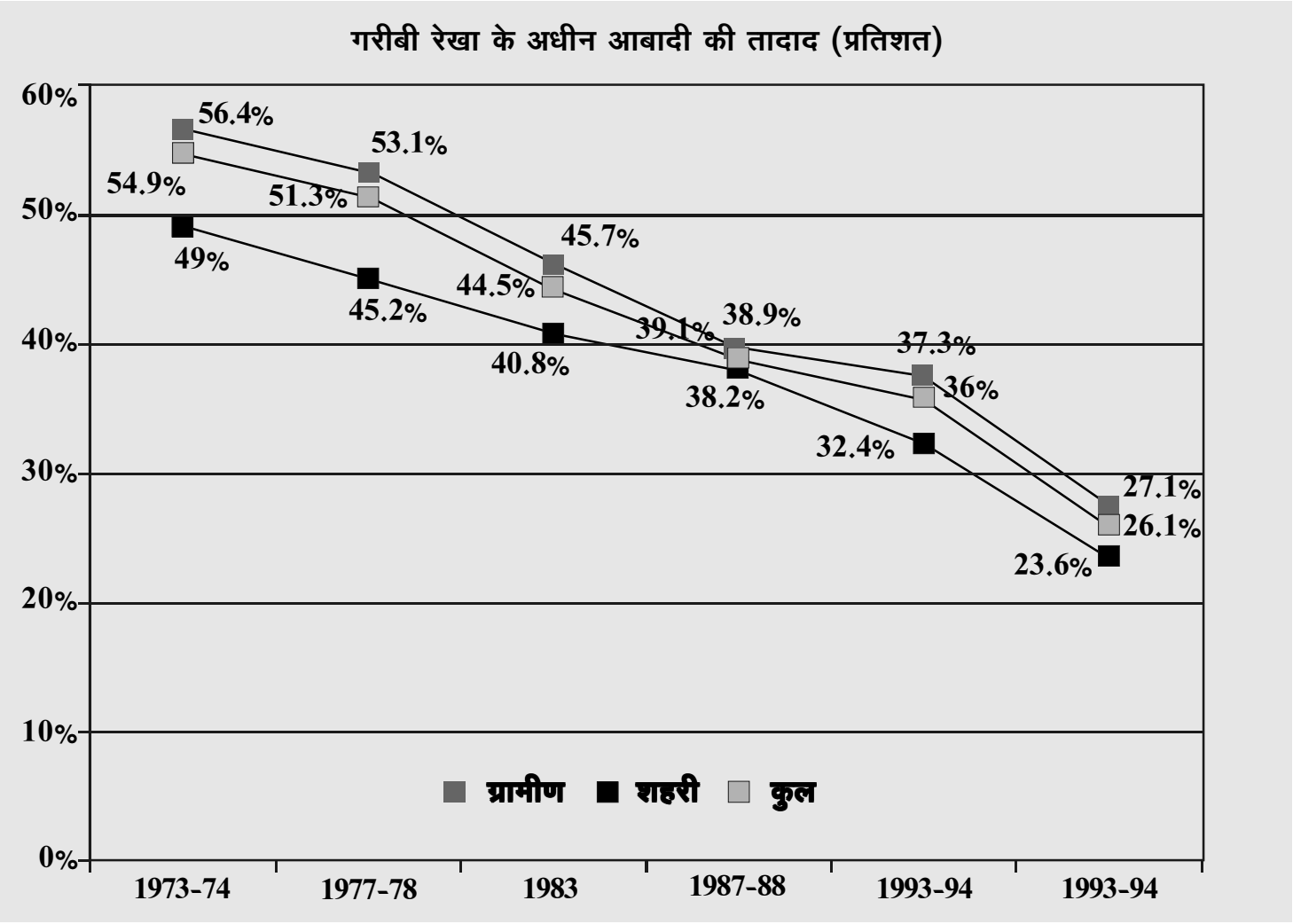

है। इसी भांति आय और मानव विकास भी सामाजिक वंचितता को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की गरीबी दूर करने के लिए तीन अभिगम सुझाये जाते हैं:

1. असहाय व पिछड़े वर्गों का समावेश बढ़ाना।
2. मुख्य धारा की सेवाओं व असरों की पहुंच में वृद्धि करना।
3. भेदभाव दूर करने संबंधी कानूनों का क्रियान्वयन करना तथा प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट जरूरतों की प्रतिक्रिया दे सकने वाले लक्ष्यांकित अभिगम को विकसित करना।

मानवाधिकार और गरीबी

मानवाधिकारों का अत्यंत मूल्यवान उद्देश्यों के रूप में देखा जाता है और स्वीकार किया जाता है। समाज के सभी व्यक्तियों को मनुष्यों के रूप में ये अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा स्वीकार किया जाता है। व्यक्ति द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति, संस्थाएं कंपनियां व सरकारें समाज के एजेंट के रूप में अपना दायित्व निभायें। जहां गरीबी है, वहां अनेक मानवाधिकारों का हनन होता है, अतः राज्य का यह कर्तव्य है कि वह मानवाधिकारों की रक्षा करने, उन्हें सम्मान देने, उन्हें प्रोत्साहन देने और उन्हें परिपूर्ण करने हेतु कानून बनाये और तंत्र गठित करे।

राज्य की सभी प्रकार की नीतियों के उद्देश्यों की अपेक्षा मानवाधिकार सिद्ध करने का उद्देश्य विशेष महत्त्व रखता है और ऐसा कहा जा सकता है कि वह राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी के लिए बाध्य करने वाला कर्तव्य है।

विकट गरीबी को जब मानवाधिकार के इन्कार अथवा भंग के

बतौर देखा जाए तब राज्य का यह दायित्व बन जाता है कि वह गरीबी दूर करने के लिए सीधे प्रयास करें। जिन नीतियों से गरीबी का निवारण करने पर अधिकतम प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें सोचा जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की नीतियां स्वीकार न की जाएं तो किन संस्थाओं को उत्तरदायी गिना जा सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। यदि यह स्वीकार किया जाए कि मानवाधिकार परिपूर्ण नहीं होते और उसके परिणामस्वरूप विकट गरीबी उत्पन्न होती है तो परिस्थिति वास्तव में गंभीर ही कही जाएगी।

भारत में गरीबी की मात्रा

भारत में बहु आयामी गरीबी सूचकांक में अलग-अलग राज्यों में जितनी गरीबी है, उससे संबंधित ब्यौरा तालिका-6 में दिया गया है। वह दर्शाता है कि राज्यों के बीच गरीबी को लेकर जबर्दस्त भिन्नता मौजूद है।

बिहार राज्य में 81.4 प्र.श. लोग गरीबी में जीते हैं, जबकि केरल में 15.9 प्र.श. लोग गरीब हैं। उसी भांति ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबी को लेकर जो अंतर देखने में आता है, वह इस आलेख में दर्शाया गया है। गरीबी की गणना के लिए भारत में जो पद्धति अपनाई जाती है, वह तालिका-5 में दी गई है और उसके आधार पर गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग जीते हैं, उनका विवरण तालिका-7 में दिया गया है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि भारत में आर्थिक विकास के परिणाम भौगौलिक रूप से समान विपरित नहीं हैं। यह असमानता दूर करने की तत्काल आवश्यकता है। भारत सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय ने 2011 की गरीबी गणना हेतु अलग-अलग राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए गरीबी की ऊपरी सीमा तय की है। यह अभिगम वास्तव में कितना उपयोगी है यह विचारणीय मुद्दा है। जब गरीबों की गणना करनी हो, तब गरीबों की गणना पहले से कैसे तय की जा सकती है? ऐसा लगता है कि सरकार गरीबों की सही गणना करने के लिए उत्सुक नहीं है। इन स्थितियों में बहु आयामी गरीबी सूचकांक के अधीन की जाने वाली गणना अधिक उपयोगी लगती है। यदि इस गणना को ध्यान में लिया जाए तो भारत में 55.4 लोग गरीब हैं और 15 राज्यों में इस अंदाज से भी अधिक लोग गरीब है। कुछेक राज्यों में बहुत ऊंची मात्रा वाकई चिंताजनक है।

उपसंहार

भारत सरकार जब नये सिरे से गरीबों की गणना कर रही है, तब वंचितता के अभिगम तहत की जाने वाली यह गणना वास्तव में गरीबों को खोज निकाले यह आवश्यक है।

भारत सरकार ने विविध पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गरीबी पर सीधा धावा बोलने के अनेक कार्यक्रम दिये, विविध गरीबी निवारण व रोजगार-सृजन की योजनाएं क्रियान्वित की हैं। हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के अधीन रोजगार सृजन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं, वे संक्षेप में विधायक परिणाम प्रदान करें, ऐसी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। विकट गरीबी की परिस्थिति तमाम मानवाधिकारों को भंग कर देती है, साथ ही विकास के अधिकारों तथा जीवन जीने के अधिकारों को खास तौर पर भंग कर देती हैं, ऐसा कहा जा सकता हैं।

गरीबी में जीने वाले व्यक्ति अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राष्ट्रीय विकास नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी सामर्थ्य खो बैठते हैं। इस दृष्टि से सरकार द्वारा मात्र रोजगार सृजन के प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं। परंतु बहु-आयामी गरीबी सूचकांक अथवा गरीबी की गणना हेतु 2011 में वंचितता का जो अभिगम अपनाया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए वंचितता के तमाम पहलुओं को ध्यान में लेकर वंचितता दूर करने के सघन प्रयास किये जाने जरूरी हैं। ये प्रयास शासन व्यवस्था में मुख्यतया पारदर्शिता, उत्तरदायित्व विकेन्द्रीकरण और सहभागिता के तत्त्वों को अधिक शामिल करके ही सफल हो सकते हैं।

संदर्भः

(1) ह्यूमन राइट्स एंड एक्स्ट्रीम पावर्टी, अर्जुन सेनगुप्ता, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 24 अप्रैल 2010
(2) ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट-2010 यूएनडीपी
(3) आर्थिक सर्वे 2010-11, भारत सरकार
(4) 'गरीबी की समझ तथा गरीबी निवारण की रणनीतियां' और 'मानव विकास', 'उन्नति', अहमदाबाद

विकास, न्याय और संविधान

जुलाई-2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो तीन फैसले दिये, उनसे ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया कि भारत में राज्य अपने दायित्व बराबर अदा करें और अनुशासन का पालन करें। हैदराबाद की 'काउंसिल फॉर सोशियल डेवलपमेन्ट' की निदेशिका **सुश्री कल्पना कन्नाभिरान** के 'द हिन्दू' में 27.7.2011 को लिखे लेख का यहां भावानुवाद दिया गया है, जिसमें इस फैसले से भारत में सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने की राज्य की जिम्मेदारी किस तरह उत्पन्न होती है और राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत जिस तरह न्यायसंगत बने हैं, उसका उल्लेख हुआ है और समझ प्रदान की गई है।

प्रस्तावना

सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई-2011 के दौरान जो तीन फैसले दिये, उनके परिणामस्वरूप वह दुविधायुक्त कानूनी बातों से बाहर आया हो और परिवर्तनगामी संविधान की और आगे बढ़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है। लगता है 2009 में दिल्ली के उच्च न्यायलय ने नाज फाउंडेशन के फैसले में संविधानिक नैतिकता का जो विचार विकसित किया था, उसे ये फैसले समर्थन देते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। ये तीनों केस अलग-अलग हैं और वे एक ही तरह से अलग-अलग वास्तविकताएं प्रस्तुत करते हैं।

कहा जा सकता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय अतिवादी रूझान अपनाना, कोई नयी घटना नहीं है और यह बात सच है। नागरिक व राजनीतिक लड़ाई में इसका इतिहास निहित है। ठोस हकीकतों के भाग स्वरूप व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के साथ प्रत्येक केस को जोड़ा जाना अधिक महत्वपूर्ण है।

सार्वजनिक वस्तुओं की गारंटी प्रदान करना राज्य का दायित्व है। यथा सुरक्षा, शासन हेतु ढांचागत सुविधाएं, कानून का निर्माण व पालन, भौतिक व सांस्कृतिक वस्तुओं की व्यवस्था विशेष रूप से जो सत्ताविहीन, विशेषाधिकार विहीन तथा दर्जेविहीन लोग अपने लिए नहीं कर सकते, उनके लिए करना इत्यादि। जो बाजार व्यक्तियों और समूहों की स्वहित से प्रेरित प्रवृत्तियों को आश्रय देता है। वह सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा सकता अथवा निजी सामाजिक कार्य भी राज्य का स्थान लेकर सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकता।

इन केसों में जो समस्या केंद्र में है, वह यह है कि न्याय के व्यापक विचार का समावेश करने हेतु संविधानवाद का विचार उपयोग में लाया जाता है, जो अन्याय को उसकी तमाम कुटिलताओं के साथ समझता है। राज्य के विकासलक्ष्यी उद्देश्यों की धुलाई और विदेशों में जमा बेहिसाबी धन के बीच कड़ी स्थापित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नव-उदारवादी अर्थतंत्र के ढांचागत उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। गुन्नार मिरडल ने चेतावनी दी थी कि 'नरम राज्य' के भय स्थान कई हैं, जिनमें कानून निर्माता, कानून पालनकर्ता और कानून तोड़ने वालों के बीच अपवित्र गठबंधन होता है। यह बात आज भी अत्यंत प्रासांगित है।

राम जेठमलानी बनाम भारत सरकार के केस में सर्वोच्च न्यायलय ने उपर्युक्त कथन व्यक्त किया था। उसने अपने फैसले में आगे बताया कि नव-उदारमतवादी विचारधारा से संचालित होने पर यह पूर्णत: संभव है कि राज्य को जिन आर्थिक व सामाजिक प्रवृत्तियों पर देखरेख रखने का काम सौंपा गया है, वह उस काम को भलीभांति न करे। राज्य जो कुछ खराब हो रहा है, उसे बहुत खराब हो जाने तक भी उसकी उपेक्षा करे, ऐसा होगा।

लोगों को जो साफ दिखाई दे रहा है उस शेयर बाजार के कपटकांड की सत्ताधिकारी उपेक्षा करते हैं अथवा बड़े पैमाने पर होने वाली गैरकानूनी खुदाई को लेकर आंखें मीच लें, ये इसके उदाहरण हैं। यहां संवैधानिक कानून की संकीर्ण व्याख्या करने के बजाय संविधान के शब्दों व भावनाओं के आधार पर न्यायतंत्र बनाने का प्रयास किया गया है।

नंदिनीसुंदर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आधुनिक सांविधानवाद यों कहता है कि किसी के भी समक्ष हिंसा करने के राज्य के अधिकार के दावे को स्वीकारा नहीं जा सकता, उसके अपने नागरिकों के खिलाफ राज्य का दावा कानून के द्वारा नियंत्रित न हो तो वह प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय गौरव के सिद्धांत के विरुद्ध है।

छत्तीसगढ़

न्यायालय को उपर्युक्त केस में यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ में जो संघर्ष व दमन हैं, उसका मूल अनैतिक राजनीतिक अर्थतंत्र में निहित है। राज्य इसे स्वीकृति देता है। नेहरूवादी समाजवाद के सिद्धांत से राज्य पीछे हट गया है और उसने बाजारलक्ष्यी मुक्त अर्थतंत्र को स्वीकार कर लिया है। इसका स्वाभाविक परिणाम ही यह है कि राज्य ताकतवर व हिंसक बने।

नव-उदारमतवादी आर्थिक नीतियों और हिंसक तथा तानाशाही राज्य के बीच प्रगाढ़ संबंध देश में एक के बाद एक नजर आया है। मानवाधिकारों और मूलभूत अधिकारों का प्रथानुसार हनन और आदिवासी समुदायों का व्यापक स्तर पर विस्थापन इस प्रक्रिया का आंतरिक भाग है। न्याय के तात्विक व राजनीतिक ढांचे में से न्यायालयों ने अनेक बार स्वयं का अपमान किया है और संवैधानिक कानूनों की दुहाई देकर धनवान लोगों की मदद की है।

कोनराड के 'हार्ट ऑफ डार्कनेस' के लेखों और योजना आयोग के कहने से तैयार किए गए विवरण उद्धृत करके सर्वोच्च न्यायालय ने 'सलवाजुदुम' के फैसले में समाजवाद के साथ संवैधानिक योजना की गाड़ी को फिर गति दी है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को केंद्र में ला दिया है। इस पृष्ठभूमि के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायलय ने संविधान की धारा-14, धारा-21 व धारा-355 का अर्थ घटित किया है। माओवादी ताकतों का सामना करने के लिए सुरक्षा दलों ने बड़े पैमाने पर शालाओं और छात्रालयों पर कब्जा किया है।

'कोया कमांडो' अथवा 'सलवा जुदुम' की व्यवस्था की है और राज्य द्वारा इन लड़ाकों को शस्त्र सज्जित किया है और इनके द्वारा जबर्दस्त हिंसा का स्वच्छंद उपयोग किया है, इन आदिवासी मजदूरों की धंधे की शर्ते स्वच्छंदी तरीके से तय की गई है, जो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है और नागरिकों के शांति मिशन में राज्य रोड़े डालता है। इस सम्पूर्ण परिस्थिति का विपरीत असर छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों पर पड़ रहा है।

सफाई कर्मचारी

दिल्ली जल बोर्ड बनाम नेशनल कैम्पेन फोर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड एलाइड वर्कर्स के मामले में वैश्विक अर्थतंत्र में निर्देश दिया गया है कि जहां राज्य द्वारा कई आवश्यक कामों की आउटसोर्सिंग की जाती है वहां सफाई कर्मचारियों का भविष्य क्या है। राज्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का जिम्मा उठाने से इन्कार करता है। उसमें परिस्थिति सुधारने के दावों को चुनौती दी गई है। राज्य के सत्ताधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो सवाल उठाये, उनमें इन मुद्दों का समावेश होता था।

(1) नेशनल कैम्पेन फोर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड एलाइड वर्कर्स का औचित्य

(2) उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी सत्ता का उपयोग

(3) गटर साफ करते समय विषैली गैसें सांस में जाने से जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को अंतिम मुआवजा देते उच्च न्यायालय के आदेश का सत्यापन।

राज्य को न्यायालयी मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है (और विचित्र बात यह है कि राज्य ही इसे चुनौती देता है) क्योंकि राज्य सर्वाधिक वंचित कर्मचारियों को सबसे कम सुरक्षा अधिकार प्रदान करना चाहता है, यह मामला वाकई चिंताजनक है। ऐसा करके राज्य को जो संवैधानिक दर्जा सौंपा गया है और साथ ही साथ संविधान में गारंटी दी गई है, उनका राज्य स्वयं ही उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वीकार किया और कहा कि सामाजिक कदम के लिए केस हो, यह

शेष पृष्ठ 24 पर

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक

भारत सरकार द्वारा संसद में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन विधेयक-2011 प्रस्तुत किया गया है। आर्थिक विकास के लाभ पर खेती की, सार्वजनिक तथा आदिवासियों की जमीनें अधिग्रहीत की जाने की वजह से उत्पन्न आर्थिक-साभाजिक प्रभावों के बारे बहुत लंबे अर्से से चिंताएं व्यक्त की जाती रही थी। इसके अलावा, भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रियाओं के बारे में भी विशेष रूप से ग्रामीण लोगों में भारी रोष विद्यमान था। इन स्थितियों में भारत सरकार द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के विषय में तथा सेंटर फॉर सोशियल जस्टिस द्वारा दिये गए सुझावों सम्बंधी विवरण **श्री हेमन्तकुमार शाह** द्वारा यहां प्रस्तुत है।

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा संसद में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विधेयक-2011 प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित हो सकता है। भारत में 1894 में भूमि अधिग्रहण कानून के अधीन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाएं की जाती थी। इन प्रक्रियाओं के दौरान भारी विसंगतियों का सामना करना पड़ता था और देश भर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के संदर्भ में जबर्दस्त विरोध उठता था। परिणामस्वरूप यह नया विधेयक लाया गया है।

ऐसा बताया गया है कि देश भर में ढांचागत सुविधाओं के विकास और औद्योगिकरण की जरूरत है। साथ ही साथ शहरीकरण अनिवार्य रूप से आगे बढ़ रहा है। इन तमाम प्रक्रियाओं के लिए भूमि एक महत्वपूर्ण साधन है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार साधन गिने जाते हैः भूमि, श्रम, पूंजी और नियोजन शक्ति। इन चारों साधनों में भूमि का स्थान विशिष्ट है, अतः विकास की प्रक्रिया में भी इसका स्थान विशिष्ट है।

किसी भी मामले में भूमि का अधिग्रहण इस तरह होना चाहिए ताकि भूमि के मालिकों के हितों की पूरी तरह रक्षा हो और जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस पर जिनका जीवननिर्वाह निर्भर है, उनके हितों की भी पूर्णतया रक्षा हो। भारतीय संविधान के अनुसार भूमि राज्य का विषय है, परंतु भूमि का अधिग्रहण राज्य और केंद्र दोनों का संयुक्त विषय है। अभी तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण कानून-1894 के अधीन की जाती रही है। यह कानून अत्यंत मुसीबतें उत्पन्न करने वाला रहा है।

भारत में भूमि का व्यापार अपूर्ण स्पर्धा का रहा है। इसमें जो भूमि का अधिग्रहण करना चाहता है और जिसकी भूमि का अधिग्रहण होना है, इन दोनों के बीच सत्ता और सूचना की असमानता विद्यमान है। अतः सरकार के लिए इसमें दायित्व खड़ा होता है। सरकार ऐसे पारदर्शी व परिवर्तन योग्य नियम और विनियम बनाये ताकि जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा हो, उसके हितों की रक्षा हो। भारत में पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन और जीवननिर्वाह के नुकसान के विरुद्ध मुआवजे की व्यवस्था करने वाला कोई राष्ट्रीय कानून नही हैं। भूमि अधिग्रहण के साथ-साथ इस मुद्दों को जोड़कर यह कानून बनाया जा रहा है।

नये कानून की जरूरत

1894 के कानून में कई बार संशोधन हुए थे, पर मुख्य कानून यथावत् रहा था और वह बहुत प्राचीन हो चुका है। इस संदर्भ में भारत सरकार के बताये मुताबिक निम्न कारणों से नया कानून बनाया जा रहा हैः

(1) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन को एक सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखने की जरूरत है।

(2) किसी भी मामले में पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया सदैव भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के साथ-साथ होनी जरूरी है।

(3) यदि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन को एक साथ जोड़ा नही जाता, तो पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन की अपेक्षा किये जाने जैसा जोखिम खड़ा हो जाता है। समग्र भारत में इसी तरह का अनुभव रहा है।

(4) भूमि अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप जिन पर प्रभाव पड़ता है अथवा जिनका विस्थापन होता है, उन परिवारों के पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन हेतु भारत में पहली ही बार कानून बनाया जा रहा है।

विधेयक में क्या है?

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन वाले इस मसौदे रूपी विधेयक में ढांचागत सुविधाओं के विकास, औद्योगीकरण व शहरीकरण सहित विविध सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत पूरी करने पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, किसानों की चिंताओं का और जिस भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा हो, उस पर आधारित लोगों के जीवन निर्वाह की समस्याओं का सार्थक समाधान लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

ग्राम विकास मंत्री जयराम रमेश ने 29-7-2011 को इस मसौदे रूपी विधेयक की प्रस्तावना में बताया कि कौन भूमि का अधिग्रहण कर रहा है, यह प्रश्न भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा और पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया, पैकेज व शर्ते कम महत्व के हैं।

विधेयक की व्यवस्थाएं कब लागू पड़ती हैं?

विधेयक के अनुसार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन संबंधी व्यवस्थाएं निम्न परिस्थितियों में लागू पड़ती हैं:

(1) जब सरकार स्वयं अपने उपयोग, धारणा के नियंत्रण हेतु, भूमि अधिग्रहीत करे।

(2) जब सरकार निजी कंपनियों के लिए उनको भूमि परिवर्तन करने हेतु अधिग्रहीत करे, जिसमें सार्वजनिक आयोजन का उल्लेख किया गया हो (उसमे राष्ट्रीय मुख्य मार्ग परियोजनाओं के अलावा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की परियोजनाओं का समावेश होता है।

(3) सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निजी कंपनियों द्वारा घोषित व तत्काल उपयोग हेतु सरकार भूमि का अधिग्रहण करें।

टिप्पणी:

(1) ऊपर (2) व (3) में जो सार्वजनिक उद्देश्य बताया गया है उसमें बदलाव नहीं होता।

(2) ऊपर (2) व (3) में बताई भूमि का अधिग्रहण तभी होगा, जब परियोजना से प्रभावित 80 प्र. श. परिवार सहमति दें।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्थाएं निम्न दशाओं में लागू पड़ती हैं:

(1) निजी कंपनियां स्वेच्छा या 100 एकड़ या इससे अधिक जमीन खरीदती हों।

(2) निजी कंपनियां सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि का आंशिक-अधिग्रहण करने के लिए सरकार से संपर्क करे।

टिप्पणी:

सरकार कंपनियों के निजी प्रयोजन हेतु भूमि अधिग्रहण नही करेगी अथवा सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भी एकाधिक फसल ली जाती हो, ऐसी किसी भी सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं करेगी।

सार्वजनिक प्रयोजन किसे कहते हैं?

(1) सशस्त्र दलों हेतु या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे रणनीतिक प्रयोजन।

(2) ढांचागत सुविधाओं या उद्योगों हेतु या जहां बड़े पैमाने पर लाभ सामान्य जनता को होना हो।

(3) पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन उद्देश्यों हेतु।

(4) ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास हेतु। गरीबों के आवास हेतु और शिक्षण तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं हेतु।

(5) निजी कंपनियों के सार्वजनिक प्रयोजन हेतु।

(6) प्राकृतिक विपत्तियों के कारण उत्पन्न जरूरतों के संदर्भ में।

विधेयक के अनुसार पीड़ित परिवार और भूमि का न्यूनतम मुआवजा

जमीन का मालिक किसे कहते हैं?

(1) जिस परिवार की भूमि या अन्य स्थावर संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया हो।

(2) विविध योजनाओं के अधीन सरकार द्वारा जिन्हें भूमि प्रदान की गई हो।

(3) वन-अधिकार धारा-2006 के अधीन जिन्हें वन की भूमि रखने का अधिकार हो।

जीवननिर्वाह गंवाने वाला किसे कहते हैं?

(1) जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस पर जिन परिवारों का जीवननिर्वाह मुख्यत: निर्भर हो।

(2) इस परिवार के पास संम्पत्ति हों या न हो।

भूमि का बाजार मूल्य

(1) जिस क्षेत्र में भूमि है, उस क्षेत्र के विक्रय पत्र के पंजीकरण हेतु भारतीय स्टेम्प अधिनियम-1899 में जिस जमीन का न्यूनतम मूल्य बताया गया हो वह।

(2) गांव में या उसके आसपास के क्षेत्र की ऐसी भूमि हेतु औसत विक्रय मूल्य। यह मूल्य आगामी तीन वर्षों के दौरान जो बेचान पंजीकृत किये होंगे, उसके 50 प्र.श. के आधार पर तय होंगे या जिसमें अधिक मूल्य चुकाया गया हो।
अथवा
इन दोनों में से जो अधिक हो। शर्त यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह निर्धारित मूल्य को तीन से गुणा किया जाए।

(3) भूमि के साथ जुड़ी सम्पदाओं का मूल्य। फसल, कुवां, वृक्ष, मकान आदि का मूल्य संबंधित सरकारी सत्ताधिकारियों द्वारा तय किया जाएगा।
कुल मुआवजा = (1) + (2) + (3)

(4) राहत स्वरूप मुआवजा। कुल मुआवजे का 100 प्र.श. इसका अर्थ यह हुआ की शहरी क्षेत्रों में जो बाजार मूल्य किया जाए, उसकी बजाय दुगने से कम राशि मुआवजे के रूप में न हो, जब ग्रामीण क्षेत्रों में मूल बाजार मूल्य के 6 गुने से कम मुआवजा न हो।

आदिवासियों हेतु विशेष व्यवस्थाएं

चर्चा के लिए रखे गए मसौदे में आदिवासियों के लिए की गई विशेष व्यवस्थाएं निम्नानुसार हैं:

(1) प्रत्येक परियोजन में प्रत्येक आदिवासी परिवार को 1 एकड़ भूमि।

(2) प्रत्येक आदिवासी परिवार को 50,000 रु. की वित्तीय सहायता।

(3) यदि आदिवासी परिवार को उसके वर्तमान जिले से बाहर पुनर्स्थापित किया जाए तो उसे पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास के सामान्यतया मिलने वाले वित्तीय लाभ के अलावा 25 प्र.श. अधिक लाभ दिया जाए।

(4) मुआवजे की राशि का एक-तिहाई भाग आदिवासी परिवार को आरंभ में ही चुका दिया जाए।

(5) उसी तहसील में आदिवासी परिवार का पुनर्ववस्थापन हो, इसे प्राथमिकता दी जाए।

(6) सामुदायिक व सामाजिक सभाओं के लिए मुफ्त जमीन प्रदान की जाए।

(7) 700 या इससे अधिक आदिवासी परिवारों का विस्थापन होने वाले मामले में आदिवासी विस्थापन योजना तैयार की जाए। उसमें भूमि के अधिकारों के निबटारे हेतु ब्यौरेवार कार्यवाही की जाए और वे अधिकार पुनर्स्थापित किये जाएं। इसके उपरांत, जलावन, घास चारे और इमारती लकड़ी के अलावा वन उपज के विकास हेतु ब्यौरेवार कार्यक्रम बनाया जाए।

विधेयक के निजी तरीके से भूमि का अधिग्रहण होता है या सरकारी तरीके से, इसे ध्यान में न लेकर इन बातों की व्यवस्था की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी व हर मामले में दोनों पक्षों हेतु न्यायी बनाना है।

जमीन का अधिग्रहण कौन करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है परंतु पुनर्वास व पुनस्थापित की प्रक्रिया में समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो, यह महत्वपूर्ण माना गया है। पुनर्वास व पुनर्व्यस्थापन की

पुनर्वास और पुनर्वव्यस्थापन के न्यूनतम अधिकार

ग्राम विकास मंत्री द्वारा सार्वजनिक चर्चा हेतु जो विधेयक मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उस प्रस्तावित विधेयक में जो अधिकार पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु निर्धारित किये गए थे वे निम्नानुसार हैं:

1. जमीन के मालिक:

(1) 12 महिनों तक प्रति परिवार प्रतिमाह 3000 रु. का जीवननिर्वाह भत्ता।

(2) 20 वर्षों तक राज्य की ओर से वार्षिक वृत्ति प्रति परिवार प्रतिमाह 2000 रु.। मुद्रास्थिति अंक के मुताबिक उसमें बदलाव।

(3) यदि भूमि अधिग्रहण में घर जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में 150 व.मी. और शहरी क्षेत्र में 50 व.मी. प्लिन्थ एरिया निर्माण कार्य वाला घर।

(4) सिंचाई की योजना हेतु यदि भूमि का अधिग्रहण किया गया हो तो स्राव क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को 1 एकड़ जमीन।

(5) परिवहन हेतु 50000 रु.

(6) यदि शहरीकरण के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई हो तो विकसित भूमि की 20 व.श. भूमि मालिकों हेतु आरक्षित रखी जाए और उनकी जमीन की मात्रा के संदर्भ में उन्हें आवंटित की जाए।

(7) भूमि अधिग्रहित की गई हो, उसी तारीख से 10 वर्ष में जमीन का यदि मूल्य बढ़े तो उसकी लगभग 20 व.श. राशि मूल मालिक को देनी होगी।

(8) पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रोजगार देना होगा अथवा यदि रोजगार न दिया जाए तो दो लाख रुपये देने होंगे।

(9) मुआवजे की राशि की लगभग 25 प्र.श. राशि शेयर पूंजी के रूप में देनी।

2. जीवननिर्वाह खोने वाले:

(1) 12 महिनों तक प्रत्येक परिवार को प्रतिमास 3000 रु. जीवननिर्वाह भत्ता।

(2) 20 वर्षों तक राज्य की ओर से वार्षिक वृत्ति प्रति परिवार प्रतिमाह 2000 रु. मुद्रास्फीति अंक के मुताबिक उसमें बदलाव।

(3) यदि घरविहीन परिवार हो तो ग्रामीण क्षेत्रो में 150 व.मी. और शहरी क्षेत्र में 50 व.भी. प्लिंथ एरिया के साथ निर्माण कार्य वाला घर।

(4) 50000 रु. पुनर्स्थापन भत्ते के रूप में देना।

(5) परिवहन हेतू 50000 रु. देना।

(6) पीड़ित परिवार के एक सदस्य को अनिवार्यत: रोजगार देना होगा अथवा यदि रोजगार न दिया जा सके तो 2 लाख रु. देने होंगे।

व्यवस्थाओं का भूमि अधिग्रहण के आंतरिक भाग के रूप में प्रभावी क्रियान्वयन हो, इस हेतु नयी संस्थागत व्यवस्था निर्मित करने का इस कानून में प्रयोजन रखा गया है। इसके उपरांत, कानून में जो अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके संबंधित सूचना साथ वाली तालिका में दी गई है।

सुझाव

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास व पुनर्व्यवस्थापन विधेयक-2011 के संबंध में दिनांक 18-8-2011 को सेंटर फोर सोशियल जस्टिस अहमदाबाद द्वारा एक विमर्श सभा का आयोजन किया गया था। इसके लिए सेंटर द्वारा इस विधेयक में संशोधन हेतु जो ब्यौरेवार सिफारिशें की गई थी, उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

किस पर लागू हो?

विधेयक की धारा-1 में यदि निजी प्रयोजन हेतु भूमि का अधिग्रहण करना हो तभी 80 प्र. श. प्रभावित लोगों की सहमति लेना अनिवार्य माना गया है। इस बारे में यदि सरकार भूमि अधिग्रहण करती हो, तो उस पर लागू नहीं होगा। 80 प्र.श. प्रभावित लोगों की सहमति की

व्यवस्था सरकार द्वारा अधिग्रहण पर भी लागू होनी चाहिए, ताकि सरकार द्वारा इस धारा का दुरुपयोग न हो। सरकार द्वारा लोगों की सहमति के बिना अनिवार्यतया अधिग्रहण हो जाए, ऐसा इस धारा के अधीन संभव है। ऐसा हो जाए तो उससे विरोध और कानूनी केस बढ़ जाएंगे।

पीड़ित क्षेत्र

विधेयक की धारा-2 (बी) में पीड़ित क्षेत्रों की व्याख्या सरल व स्पष्ट है परंतु गांव के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का समावेश भी इस व्यवस्था में किया जाना चाहिए। सामान्यतया जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं ऐसे लोगों को गांव के अंदर रहना पड़ता है और उनको भी भूमि अधिग्रहण का प्रभाव गांव के भीतर रहने वाले लोगों जितना होता है अतः इस व्याख्या में उनका भी समावेश होना चाहिये और उनको भी आर्थिक लाभ मिलने चाहिए।

पीड़ित परिवार

विधेयक की धारा-2 (सी) के पीड़ित परिवार की व्याख्या दी गई है। उसमें तमाम वर्गो के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके उपरांत उसमें सुधार किये जाने की जरूरत है ताकि इन व्यवस्थाओं का प्रयोजन अधिक उत्तम तरीके से सहेजा जा सके, और उनमें से उत्पन्न होने वाले विवादों को टाला जा सके। इस व्यवस्था के अधीन जो भूमि के मालिक नहीं, पर जिनके जीवन निर्वाह का जमीन के अधिग्रहण के कारण विपरीत प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों को भी पीड़ित माना गया है। उसमें भूमिहीन लोगों के बाद में इन लोगों का समावेश किया गया है, जिससे अधिनियम लागू करने की मर्यादा पैदा होती है, यह मर्यादा दूर होनी चाहिए।

परिवार

विधेयक की धारा-2 (एल) के अंतर्गत परिवार की व्याख्या दी गई है। इसमें स्त्री या पुरुष किसी भी वयस्क के व्यक्ति हेतु अलग परिवार माना गया है। परंतु इसके लिए जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उसे थोड़ा अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है। बालकों या आश्रय विहीन अविवाहित या विधुर या विधवा को भी इस कानून हेतु अलग परिवार माना जाना चाहिए।

संसद में प्रस्तुत विधेयक के विवरण

संसद में दिनांक 7-9-2011 को प्रस्तुत किये गये गए विधेयक और ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक चर्चा हेतु रखे गए विधेयक में अंतर है। बताया गया है कि मसौदे में जो परिवर्तन किये गए हैं वे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के आग्रह से किये गए हैं। उनका ऐसा मत था कि मसौदे में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण का खर्च बहुत बढ़ जाएगा। संसद में प्रस्तुत किये गए विधेयक में जो विवरण हैं, वे निम्नानुसार हैं:

(1) ग्रामीण क्षेत्रो हेतु स्टेम्प कीमत से लगगभ चार गुणा मुआवजा चुकाया जाए। पहले के मसौदे में यह राशि लगभग छह गुणा थी। शहरी क्षेत्रों में मुआवजे की राशि जमीन की कीमत से लगभग दुगनी थी, और वह यथावत रखी गई है।

(2) मसौदे में विकसित भूमि के लगभग 20 प्र.श. बढ़ा मूल्य भूमि के मूल मालिक को देने की व्यवस्था की गई थी। संसद में प्रस्तुत विधेयक में जिस जमीन का विकास नहीं किया गया, उसके बदलाव के मामले में भी यही बात लागू रखी गई है।

(3) जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे तीन माह में मुआवजा चुकाना होगा। पुनर्स्थापन व पुनर्वास हेतु जो वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हैं, उन्हें छः माह में पूरा करना होगा। इसके अलावा ढांचागत सुविधाएं 18 माह में पूरी करनी होंगी।

(4) मसौदे में सिंचित भूमि और एकाधिक फसल ली जाती हो, ऐसी जमीन का अधिग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। संसद में प्रस्तुत विधेयक में बताया गया है कि किसी भी जिले में अंतिम उपाय के बतौर ऐसी 5 प्र.श. जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। वैसे उसी जिले में इतनी ही खेती के अयोग्य भूमि का विकास करना होगा।

सार्वजनिक उद्देश्य

कानून की धारा-2(वाई) में सार्वजनिक प्रयोजन की व्याख्या दी गई

है। 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया, तब से यह विषय विवादास्पद रहा है और आज भी विवादास्पद है। सार्वजनिक उद्देश्य की व्याख्या नये विधेयक में अंतस्थ है।

भूमि अधिग्रहण की सार्वजनिक उद्देश्य यह माना जाता है कि मोटे तौर पर सामान्य जनता को लाभ हो। परंतु सामान्य जनता जनता का अर्थ तय करने में प्राय: अनेक अर्थ दिये जाते हैं। अत: सार्वजनिक उद्देश्य तय करने की मार्ग रेखाएं दी जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त फैसलों तथा संविधान की धारा-39 को ध्यान में रख कर ऐसी मार्गरेखांए बनानी चाहिए। उसके उपरांत, एक बार जिसे सार्वजनिक उद्देश्य मान लिया गया हो उसे बाद में बदलना नहीं चाहिए। उस विधेयक के भाग-5 में राष्ट्रीय देखरेख समिति नियुक्त करने के लिए व्यवस्था की गई है। इस समिति को सार्वजनिक उद्देश्य पर देखरेख रखने हेतु अधिकृत किया जाना चाहिए।

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन

विधेयक की धारा-3 में सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन हेतु अध्ययन करने की तथा उसमें पीड़ित क्षेत्र की ग्राम सभा के साथ परामर्श करने की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की किसी संस्था के साथ परामर्श करने की व्यवस्था की गई है। परंतु यह व्यवस्था 100 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण करना जहां होगा, वहीं लागू होगी। अत: इससे कम जमीन का अधिग्रहण किये जाने पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। अत: इस व्यवस्था को घटा कर 40 एकड़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। उसमें भूमि अधिग्रहण का प्रभाव उस क्षेत्र के पर्यावरण और जैव-वैविध्य पर कैसा पड़ता है।

मुआवजा और बाजार मूल्य

इस विधेयक की धारा-20 व धारा-21 में मुआवजे और बाजार मूल्य तय करने संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें भूमि के यथाशक्य श्रेष्ठ बेचान मूल्य के जितना मुआवजा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस विषयक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फैसले दिये गए है, उन्हें ध्यान में लिया जाना चाहिए, और इसके लिये धारा-20 (1) (बी) में सुधार करना चाहिए। बाजार मूल्य की गणना करते समय किसी जमीन के वर्तमान लाभ, ऐसी ही जमीन अन्य स्थान पर हो, तो उसके संदर्भ में ध्यान में लेने चाहिए। इसके उपरांत, इस भूमि का जो उपयोग भविष्य में होने वाला है उसे भी ध्यान में रख जाना चाहिए। इस हेतु धारा-21 में सुधार करने की जरूरत है।

अनुसूचित जातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 के प्रकरण-4 में जमीन के मूल्य निर्धारण के लिए जो नमूना दिया गया है उसे इस कानून में भी रखा जाना चाहिए। इस कानून में ग्राम सभा द्वारा इनकी प्रक्रिया की शुरूआत की जाती है कि जिसमें समग्र प्रक्रिया में जमीन के मालिकों की आवाज महत्वपूर्ण बनी रहती है। यह बात यहां भी लागू होनी चाहिए। इसके अलावा, जहां जमीन के मूल्य पुन: निर्धारित करने की जरूरत पड़े, वहां ये काम इन्हीं अधिकारियों द्वारा नहीं होने चाहिए।

अन्य बातें

(1) भारत में संविधान की अनुसूची-7 के अनुसार भूमि अधिग्रहण केंद्र सरकार का विषय है, परंतु भूमि राज्य सरकारों का विषय है, जिससे केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच संघर्ष उपस्थित होने की संभावना रहती है। इस संघर्ष के निवारण हेतु नीति संबंधी तंत्र गठित होना चाहिए।

(2) अनिवार्यतया सामाजिक अन्वेषण हो और भूमि अधिग्रहण की तमाम कार्यवाही घोषित हों, ऐसी व्यवस्था कानून में होनी जरूरी है। यह कार्यवाही स्थानीय लोगों के साथ सुसंगत रूप में होनी चाहिए। ऐसा होगा तो भूमि अधिग्रहण की समग्र कार्यवाही अधिक पारदर्शी बनेगी और साथ ही स्थानीय लोग अधिक जानकार बन सकेंगे।

(3) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले सहभागी प्रक्रियाएं शुरू होनी चाहिए, ताकि जमीन के मालिकों की और जिनका जीवननिर्वाह जमीन पर आधारित है, उन लोगों की शिकायतें ध्यान में ली जा सकें। अधिग्रहण हेतु भूमि तय करने के बाद और धारा-9 के अधीन भूमि अधिग्रहण करने हेतु सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाए, उससे पहले यह प्रक्रिया होनी चाहिए।

गतिविधियाँ

'नारी आंदोलन का इतिहास' का विमोचन

वड़ोदरा के 'सहियर' के सहयोग से 'उन्नति' द्वारा प्रकाशित 'नारी आंदोलन का इतिहास' नामक चार पुस्तकों को विमोचन दिनांक

20-6-2011 को किया गया था। वर्तमान समय में इन पुस्तकों की उपयोगिता के विषय में चर्चा करने हेतु समीक्षकों को आमंत्रित किया गया था। 'उन्नति' की दीपा सोनपाल द्वारा इन पुस्तकों को तैयार करने की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई थी। सुश्री सरूप ध्रुव ने महिलाओं के द्वारा गाये जाने वाले गीतों व पुस्तक में समाविष्ट गीतों की प्रसंगिकता के संबंध में विचार व्यक्त किये।

'सहियर' की सुश्री तृप्ति शाह द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थीं। उन्होंने इन पुस्तकों की लेखन शैली के बारे में विचार व्यक्त किये तथा स्पष्ट किया कि ये पुस्तकें नाट्य विद्या में क्यों लिखी गई थी। उन्होंने जिन बातों का समावेश इनमें किया उनकी भी चर्चा की थी।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के श्री तरुणदीप गिरधर द्वारा पुस्तकों की डिज़ाइन शैली के बारे में जानकारी दी गई थी। 'सफर' की सुश्री सोफिया खान और 'बिहेवियरल साइंस सेंटर' के फादर जिमी डाभी द्वारा इन पुस्तकों के अलग-अलग विभागों की प्रासंगिकता के बारे में चर्चा की गई थी। अहमदाबाद के विविध गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 80 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।

गैर-संक्रामक रोगों की प्राथमिकता के विरुद्ध निजी क्षेत्र की कंपनियों की चालाकी

दुनिया भर में सर्वाधिक मौतें गैर-संक्रामक रोगों द्वारा होती हैं। ये रोग न हों, इसके लिए, अथवा इनके उपचार के लिए प्राथमिकता जताने हेतु अमेरिका में दिनांक 19-20 सितंबर 2011 के दौरान न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन को प्रभावी बनने से रोकने के लिए दवा उद्योग व खाद्य वस्तुओं की उद्योग कंपनियां व कई धनी देश प्रयास कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महा सभा के इतिहास में यह दूसरी बार है जब स्वास्थ्य के सवाल को लेकर सभा मिल रही है। इसका कारण यह है कि गैर-संक्रामक रोगों का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है।

2010 में वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया था कि विश्व के अर्थतंत्र के समक्ष गैर-संक्रामक रोग दूसरे नंबर के सबसे बड़े खतरे है। विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम वित्त वाले भारत जैसे देश इन रोगों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त तैयार नहीं हैं। नागरिक समाज के समूहों तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञों व मरीजों के समूहों द्वारा इस मुद्दे पर विचार-विमर्श हो रहा है, तब एक ऐसा भय फैल रहा है कि दवा उद्योग और खाद्य प्रक्रिया उद्योग इस समग्र प्रयास पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा।

दुनियाभर में प्रतिवर्ष 3.5 करोड़ लोगों की मृत्यु इन रोगों के कारण होती है, और उनमें से 80 प्र.श. मौतें निम्न व मध्य वित्तीय भारत जैसे देशों में होती है। परंतु सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस संबंध में जितनी गंभीरता होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है।

इस संबंध में भारत का रूझान निम्नानुसार है:

(1) मानसिक स्वास्थ्य, मौखिक स्वास्थ्य और मूर्च्छा जैसे रोगों तथा चोटों का समावेश गैर-संक्रामक रोगों में किया जाना चाहिए।
(2) शराब, तम्बाकू तथा स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली खाद्य वस्तुओं पर कर लगाकर गैर-संक्रामक रोगों संबंधी कार्यक्रमों के लिए धन देना चाहिए।
(3) स्वास्थ्यप्रद खाद्य वस्तुओं को सरकारों द्वारा सबसिडी दी जानी चाहिए।
(4) गैर-संक्रामक रोगों को नियंत्रण में रखने की व्यूहरचना में स्वास्थ्य मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों का भी समावेश करना चाहिए।
(5) गैर-संक्रामक रोगों का इलाज सर्वसाधारण द्वारा वहन करने वाला चाहिए।

डॉक्टरों तथा दवा उद्योग द्वारा जो प्रस्तुतीकरण किये जा रहे हैं, वे दवा उद्योग के हितों की रक्षा करते प्रतीत होते हैं। इन समूहों को दवा उद्योग की तरफ से धन प्राप्त होता है। एनसीडी एलायंस नामक एक समूह है जो मरीजों के चार समूहों का बना हुआ है। इन चारों समूहों को दवा कंपनियों की ओर से सहायता प्राप्त होती है।

इनमें से एक समूह इंटरनेशनल डाइबिटीज फेडरेशन है, जिसे लीली, नोवो, नोर्दिस्क, सनोफी, एवेन्तिस, एबोट डाइबिटीज केयर, मर्क व फाइजर जैसी कंपनियों द्वारा पैसा प्राप्त होता है। गैर-संक्रामक रोगों की दवाओं के भाव में कमी करने की मांग की जा रही है और इनके विरुद्ध ये कंपनियां लोबिंग कर रही हैं। गैर-संक्रामक रोगों को रोकने पर भी इस सभा में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

पेप्सी, कोकाकोला, नेस्ले जैसी महाकाय निजी कंपनियां और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजर्स तथा इंटरनेशनल फूड एंड बेवरेज एलायंस जैसी निजी कंपनियों के मंडल जो खाद्य वस्तुएं उत्पन्न करती हैं और बेचती हैं, उनसे गैर-संक्रामक रोगों के फैलने की बात विशेषज्ञ बताते हैं। अत: कंपनियां और इनके मंडल ऐसा कह रहे हैं कि वे स्वेच्छा से ही नियमन करेंगे अर्थात् अपनी खाद्य-चीजों में नमक व ट्रांसफेट की मात्रा घटायेंगे, उत्तरदायी रूप से विज्ञापन देंगे और तंदुरुस्त जीवन शैली व रोगों के बारे में जनजागृति फैलाने हेतु सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करेंगे।

परंतु आवश्यक दवाओं के भाव दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, तब हकीकत यह बताती है कि उद्योग क्षेत्र अपने आप कोई स्वनियमन नहीं करता। सकार का नियमन ही एक समाधान होता है। इस संदर्भ में न्यूयार्क में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महा सभा की कार्यवाही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाती है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार ही बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वह भी इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं।

स्रोत : वेबसाइट: http://www.downtoearth.org.in

संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार विषयक प्रस्ताव को चरितार्थ करना: समावेशी रीतियों में से वस्तुनिष्ठ शिक्षण के सम्बंध में प्रादेशिक विमर्श सभा

संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार संबंधी प्रस्ताव को चरितार्थ करना: समावेशी रीतियों में से वस्तुनिष्ठ शिक्षण विषयक प्रादेशिक विमर्श सभा दिनांक 8-7-2011 को अहमदाबाद में अंधजन मंडल के सहयोग से उन्नति द्वारा आयोजित की गई थी।

उसमें शिक्षण तथा रोजगार के क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों हेतु जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण करने वाला प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था और उसके बारे में चर्चा आयोजित की गई थी। अनेक हितैषियों सहित 155 प्रतिनिधियों ने इस विमर्श सभा में भाग लिया था। विकलांगता कमिश्नर व मुख्य सचिव के अलावा नल्सर युनिवर्सिटी के डॉ. अमीता ढांधा, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के श्री राजीव रतूड़ी जैसे लोग भी इस विमर्श सभा में उपस्थित रहे थे।

दिल्ली युनिवर्सिटी से तीन प्राध्यापक डॉ. अनिता घई, श्री जगदीश चंदर और डॉ. तन्मय भट्टाचार्य भी उपस्थित रहे थे। क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन के प्रतिनिधि के रूप में भी मुरली पद्मनाभम् उपस्थित रहे थे।

दलितों पर अत्याचारों के बारे में जन सुनवाई

दलितों पर अत्याचारों के विरुद्ध और भेदभाव के विरुद्ध दलित समुदाय की आवाज आने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों व उन्नति के सहयोग से दिनांक 22-7-2011 को एक जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें दलितों व महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के 18 मामले प्रस्तुत हुए थे। निर्णायक के रूप में उसमें उच्च न्यायलय के निवृत्त न्यायमूर्ति और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री आर. के. अमोड़िया, वकील श्री किसन गुर्जर, जोधपुर के निवृत्त अतिरिक्त एस. पी. श्री सी. एम. नवल, जयपुर के सेंटर फोर दलित राइट्स के श्री वी. एल. मिमरोथ, मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता श्री भंवर मेघवंशी और महिलाओं तथा श्रमिकों के प्रश्नों की शोधकर्ता सुश्री वर्षा गांगुली ने उपस्थिति दी थी।

इस जन सुनवाई में पीड़ितों और उनके परिवारों के अलावा 300 व्यक्तियों ने भाग लिया था। दलित संसाधन केंद्र द्वारा सात मामलों में

दलितों के प्रति अन्याय विषयक तथ्य इकट्ठे किये गये थे और 55 मामलों में कानूनी सहायता व मार्गदर्शन प्रदान किया गया था।

जिला स्तरीय कानूनी सत्ता सेवामंडलों के साथ बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में बैठकें की गई थीं और जोधपुर व जयपुर उच्च न्यायालय के स्तर पर सत्ताधिकारियों के साथ बैठकें की गई थी, ताकि जागरूकता बढ़े। उसमें पारस्परिक समर्थन हेतु कार्यसूची भी बनाई गई थी।

अत्याचार के अलग-अलग मामलों के संदर्भ में पीड़ित परिवार का दृष्टिकोण क्या है और उसके पीछे का दर्द क्या है, वह इस जन सुनवाई में उपस्थित निर्णायक समझ सके थे। दस्तावेजों का अध्ययन करके व जांच करके हर मामले की जांच की गई।

कार्यकर्ताओं तथा पीड़ितो से उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात की गई और स्थानीय स्तर पर लोगों को संगठित करने पर बल दिया गया था। कानूनी शिकायत कैसे हो सकती है, इस बारे में भी इस जनसुनवाई में विचार किया गया था।

जन सुनवाई के कारण अत्यचार के ये मामले सबके सामने आए। प्रशासन तंत्र, पुलिस व समाज दलितों के विरुद्ध अत्यचार के मामले में कितने असंवेदनशील हैं, यह बात इस जन सुनवाई से बाहर निकल कर आई। दलितों को न्याय मिले और मनुष्य के नाते उन्हें गौरव प्राप्त हो, इस प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से समग्र समाज जिस तरह की जागृति रखना चाहता है, वैसी उत्पन्न करने का प्रयोजन इस जनसुनवाई का था।

अत्याचार के प्रत्येक मामले की चर्चा करने के लिए जन सुनवाई में 10 मिनट दिये गए थे। प्रत्येक मामले की बुनियादी हकीकतें उसमें व्यक्त की गई थीं। पीड़ित परिवार तथा स्थानिक संगठन अपने अनुभव दर्शाते थे। इसके उपरांत, पुलिस, सरकारी अधिकारी और सरकारी अधिकारियों व समुदाय के सदस्यों के व्यवहार के बारे में भी उसमें चर्चा की गई थी। निर्णायक सदस्यों को एफआईआर, आरोपपत्र, जांच विवरण, मेडिकल रिपोर्ट, अदालत की शिकायत के ब्यौरे तथा अखबारों में प्रकाशित विवरण की कतरनें प्रदान की गई थी। केस की प्रस्तुति के बाद निर्णायक अपने मंतव्य व्यक्त करते थे और हर केस में फैसला देते थे। आगे की कार्यवाही के लिए क्या करना चाहिए, यह भी उन्होंने इस जन सुनवाई के दौरान बताया।

निर्णायकों ने समुचित रूप से केस दर्ज कराने और भेदभाव के संदर्भ में प्रत्येक केस अलग-अलग था। इसी से तमाम मामलों में विविध पहलुओं के अनुसार निर्णायकों ने सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही चल रही है।

पृष्ठ 14 का शेष

संविधानवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा यह अपने लिए महत्वपूर्ण है। संविधान के आमुख में जिन ध्येयों के क्रियान्वयन की बात की गई है उनका अमल रोक दिया गया हो अथवा छः दशकों के दौरान वह फुटकर रूप में ही हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में अदालतों की क्रियाशीलता के सामने अथवा अदालतें अपने कार्यक्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, कहकर एतराज उठाते हो तो उसका एकमात्र प्रयोजन यह है कि जो गरीबों हेतु आवाज उठाते हैं, उनको थका देना। इसके बावजूद निजी सामाजिक कार्य ही सार्वजनिक उत्तरदायित्व हेतु पूरा करा सकता है। राम जेठमलानी बनाम भारत सरकार केस में न्यायालय ने बताया है कि समाधान राज्य के कर्तव्य का भाग है और होना चाहिए।

उपसंहार

यहां जिन मामलों का उल्लेख हुआ है, वे सामाजिक काम का महत्व दर्शाते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्य के 'दमन' और 'सलवा जुदुम' के विरुद्ध अभियान, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान या जो सूचना अधिकार के साथ ही शुरू हुआ था, और जोखिम भरे व कलंकित स्वरूप की मजदूरी करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों व गौरव संबंधी आंदोलन इन तीनों सामाजिक कार्यों के महत्व को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्थापित किया है। ये फैसले न्यायालयी, सामाजिक विज्ञानों व सामाजिक आंदोलनों के बीच महत्व की कड़ियां प्रस्थापित करते हैं, ये ऐसी कड़ियां हैं, जिन्हें सामान्यतया अदालतें भूल जाती हैं अथवा वे उनका इन्कार करती हैं। ये फैसले विकास के बारे में अतिवादी दृष्टि अपनाते हैं। इस तरह वे सिर्फ मूलभूत अधिकारों पर ही ध्यान देते हों, ऐसा नहीं, पर अधिक महत्व का तो यह है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को वे यथार्थ में न्यायोचित बनाते हैं और इस प्रकार वे संविधान के फुटकर वाचन का प्रतिकार हैं।

दूसरी तरफ, संविधानवाद का अभिगम विकास की समस्या के संदर्भ में जो कार्य पूरा करता है, वह यह है कि विकास को बंधनकर्ता प्रयास बनाता है। इस तरह स्वभाविक रूप से ग्राह्य बनाता है। राज्य का इन दोनों के साथ संबंध है। वह यह भी कहता है कि नुकसान के लिए रक्षण मिले, सुख का विभाजन हो और समर्थता सिद्ध हो, इस हेतु स्पष्ट कदम उठाये जाने चाहिए। ये उत्तरदायित्व कोई भी सरकार आसानी से और अपनी इच्छा से निभाने के लिए तैयार नहीं होती, परंतु ये राज्य की जिम्मेदारियां हैं, इसमें शंका को कोई स्थान नहीं और सरकारों में अनुशासन उत्पन्न करने हेतु अदालतों का उपयोग तो होना चाहिए।

संदर्भ सामग्री

नागरिक नेतृत्व और जनवाणी (शैक्षिक फिल्में)

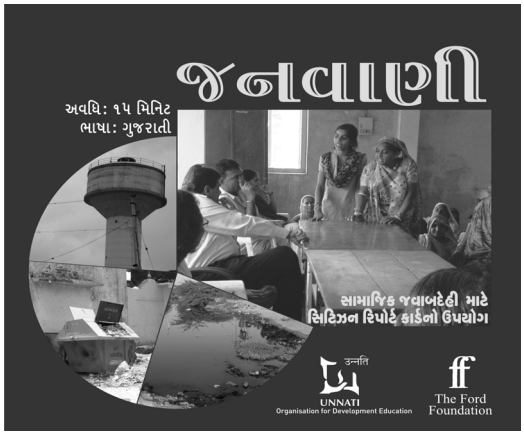

उन्नति द्वारा ये दो शैक्षिक फिल्में तैयार की गई हैं। 'नागरिक नेतृत्वः प्रगतिना पंथे' पर नामक फिल्म नागरिक नेताओं को प्रोत्साहन व पीछे से सहारा प्रदान करने हेतु हुए प्रयासों पर आधारित है।

इस फिल्म में विविध ग्राम पंचायतों के अधीनस्थ नागरिक नेताओं ने स्थानीय विकास के मुद्दों के बारे में निर्णय प्रक्रियाओं में तथा वंचित समूहों तक आधारभूत सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के कार्यों के दौरान प्राप्त अपनी अनुभव दर्शाए हैं। इस फिल्म का उपयोग प्रशिक्षण तथा स्थानीय स्तर पर नागरिकों को इकट्ठा करके सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देने हेतु किया जा सकता है। यह फिल्म 15.24 मिनट की है गुजराती भाषा में है और उपशीर्षक अंग्रेजी भाषा में दिये गये हैं।

दूसरी फिल्म 'जनवाणी' नागरिकों के रिपोर्ट कार्ड के बारे में जानकारी देती है। इस दस्तावेजी फिल्म में 9 छोटे लेकिन मध्यम आकार वाले नगरों में नगरपालिकाओं द्वारा जल प्रदाय, गटर व्यवस्था और कचरा-निकास व्यवस्था के बारे में नागरिकों द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, उनका विवरण दिया गया है।

2009 में 7 स्थानीय सामुदायिक संस्थाओं द्वारा साथ मिलकर आयोजित सहभागी शिक्षण प्रक्रिया के भाग स्वरूप इस फिल्म का निर्माण हुआ है। यह फिल्म रिपोर्ट कार्ड नामक पद्धति का उपयोग नगरपालिकाओं की सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाने हेतु किस तरह की जा सकती है, उसकी जनसमाज में जागृति फैलाने हेतु साथ तैयार की गई है। यह गुजराती फिल्म 15 मिनट की है।

प्राप्ति स्थान : उन्नति

संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार विषयक प्रस्ताव को चरितार्थ करनाः समावेशी तरीकों से सीख

यह विवरण विकलांगों के प्रश्न को मुख्य धारा में लाने हेतु समावेशी तरीकों के दस्तावेजीकरण व प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह एक शोध अध्ययन है।

इस शोध अध्ययन के अधीन जिन तरीकों का दस्तावेजीकरण किया गया है वे समावेशी तरीकों के उदाहरण स्वरूप हैं। दूसरे इस तरह की तरीकों हेतु प्रोत्साहित हों, इस उद्देश्य से विवरण लिखा गया है। मूलभूत रूप से यह कोई मूल्यांकन विवरण नहीं हैं। इस कार्यलक्ष्यी शोध के दौरान अनेक विकलांग व्यक्तियों से सम्पर्क किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का अमल भारत में अधिक बेहतर तरीके से कैसे हो सकता है, यह इस संशोधन से पता लगता है। मुंबई की

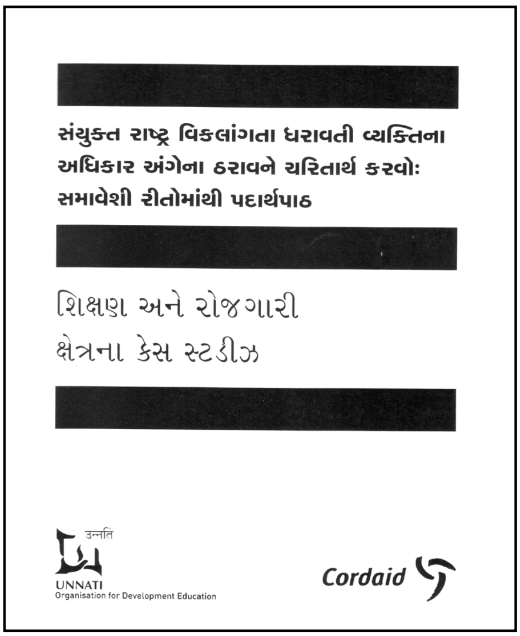

एबल्ड-डिसेबल्ड ऑल पीपल टुगेदर (एडेप्ट), अहमदाबाद के अंधजन मंडल, भावनगर की माइक्रोसाईन प्रोडक्ट्स नामक निजी कंपनी और मुंबई की भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड नामक निजी कंपनी और विकलांगों के शिक्षण स्तर को उन्नत बनाते हेतु और उन्हें रोजगार प्रदान करने हेतु जो प्रयास किया जा रहे हैं, उनका दस्तावेजीकरण इस अध्ययन में किया गया है।

यह अध्ययन डॉ. बनमाला हीरानंदानी, श्री अरुणकुमार और सुश्री दीपा सोनपाल द्वारा हाथ में लिया गया था इस कार्यलक्ष्यी शोध में विकलांग व्यक्तियों में समावेश हेतु जो प्रयोग व्यवहार में प्रचलित हैं और उनके पीछे के विचारों को समझने के लिए किये जाएं और क्रियान्वित हों, इस हेतु तथा संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार संबंधी प्रस्ताव के क्रियान्वित करने हेतु ठोस सिफारिशें करना इस अध्ययन का प्रयोजन है।

प्राप्ति स्थान : उन्नति

लुप्त होती लघु वन उपजः खतरे में आदिवासी आजीविका

इस पुस्तिका में आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति पर गौण वन उपज का प्रभाव क्या है और गौण वन उपज नष्ट होने से उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में

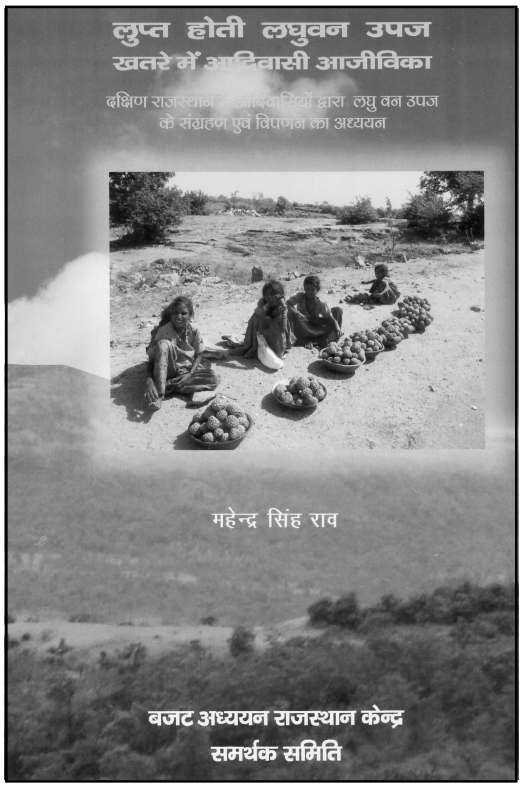

ब्यौरेवार शोधात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस शोध के तीन मकसद थे:

(1) आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना
(2) आदिवासियों के आर्थिक जीवन में वन-उत्पादों के महत्व का अध्ययन करना
(3) मुख्य व गौण वन उत्पादों के संग्रह और बिक्री की कार्यवाही का अध्ययन करना तथा लुप्त हो रही वन उपज की आदिवासियों के जीवन में भूमिका को लेकर अध्ययन करना।

राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ और राजसमंद जिलों में गौण वन उपज के संग्रह और बिक्री के साथ संबंधित आदिवासियों का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्न हैं:

(1) आदिवासियों का मुख्य कार्य गौण उत्पादों का संग्रह कना, जंगल की जमीन पर खेती करना और घरेलू कार्य अथवा मजदूरी करना है।
(2) इन जिलों में मुख्य रूप से गौण वन उत्पादों में सीताफल,

टीमरू के पत्ते, महूडा, शहद, गोंद, खेर, सफेद मूसली, रतनजोत आदि का समावेश है।

(3) इन जिलों के 79.20 प्र.श. आदिवासी सीमांत किसान हैं, जिनके पास एक हैक्टेयर से भी कम जमीन है।

(4) 87.92 प्र.श. लोगों में वार्षिक आय 20,000 रु. से भी कम है।

(5) इन जिलो में 70.13 प्र.श. आदिवासी गौण वन उपज एकत्र करने का काम करते है।

(6) आदिवासियों की कुल आमदनी में लगभग 10 से 18 प्र.श. आय गौण वन उपज से प्राप्त होती है।

(7) लगभग 57 प्र.श. आदिवासी गौण बन उपज को बीमारी, मृत्यु, विवाह आदि प्रसंगों में बेचते हैं। उस समय जो भाव होता है, उसे स्वीकार कर लेते हैं और बेच देते हैं। इस तरह उनमें बेचान के कौशल का अभाव देखा जाता है।

(8) लगभग 80 प्र.श. लोगों ने कहा कि पिछले कुछेक वर्षों से साल, खेर, सफेद मूसली, धावड़ा आदि गौण वन उपज जंगल में से नष्ट हो रही हैं।

(9) आदिवासियों ने यह भी कहा कि गौण वन उपजें खुले बाजार में बेची जाएं अथवा स्वसहायता समूहों द्वारा बेची जाएं तो ज्यादा लाभ मिलता है।

(10) संग्रह की उचित जैसी सुविधा न होने के कारण अनेक गौण वन उपजें बिगड़ जाती हैं, परिणामतः आदिवासियों को आर्थिक नुकसान होता है।

लेखक महेन्द्र सिंह राव, प्राप्ति स्थान : बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र, पी-1, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान। फोन/फेक्सः 0141-2385254 ई-मेल : info@barcjaipur.org

घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला रक्षण अधिनियम-2005

घरेलू हिंसा एक वैश्विक समस्या है। परंतु भारत में परिस्थिति विशेष गंभीर है। घरेलू हिंसा के वास्तविक आंकड़े बता पाना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक परिवार, समाज व देश इनको अदृश्य रखना चाहता है।

भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध स्त्रियों को रक्षा प्रदान करने हेतु 2005

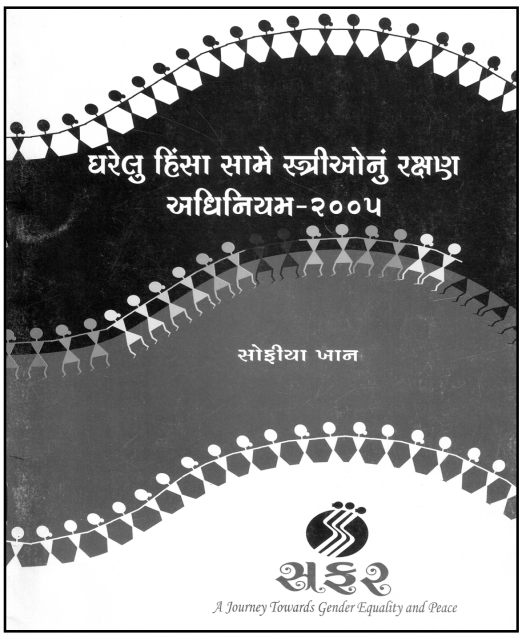

में जो कानून बना उसके बारे में इस पुस्तिका में जानकारी दी गई है। इस कानून से जो महत्वपूर्ण लाभ हुआ वह यह है कि स्त्री को घर से बाहर निकाल देने का डर समाप्त हो गया है। यद्यपि स्त्रियों को मानवाधिकार के संदर्भ में देखने वाले यह कहते हैं कि इस क्रांतिकारी कानून को वास्तव में लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा तंत्र की आवश्यकता है।

इस कानून के बारे में विशेष जानकारी इस पुस्तिका में दी गई है। इसके कानून की विविध धाराओं में क्या है और इस कानून के अधीन बनाए गए नियमों की विविध किन बातों का समावेश हुआ है, इसका ब्यौरा दिया गया है। इस पुस्तिका में घरेलू हिंसा का अर्थ कानून के मुताबिक क्या है, यह समझाया गया है। इसके उपरांत, यह कानून कौन किसके विरुद्ध उपयोग में ला सकता है, शिकायत कहां की जाए, किस तरह शिकायत दर्ज की जाए, कानून के अधीन क्या कार्यवाही होगी, कानून के अंतर्गत क्या हासिल किया जा सकता है इत्यादि जानकारी प्रदान की गई है। इसमें सुरक्षा के आदेश, निवास स्थान के आदेश, आर्थिक राहत, बालक का कब्जा, भरण-पोषण आदि के विवरण का भी उल्लेख सरल भाषा में किया गया है।

लेखक : सोफिया खान, प्राप्ति स्थान : सफर, डी-1, रीजेंसी पार्क प्लाजा, अंबर टावर के सामने, सरखेज रोड, अहमदाबाद-55, फोनः 079-26820272, ई-मेल : safar7@rediffmail.com

विगत चार महीनों की अवधि के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं:

(1) सामाजिक समावेश व सशक्तिकरण

दिनांक 22 जुलाई 2011 को लोक सुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें दलितों व महिलाओं के विरुद्ध किये गए अत्याचारों के 18 मामले प्रस्तुत किये गए थे। उसमें निर्णायकों के बतौर उच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ति एवं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री आर. के. अनकोड़िया, वकील श्री किसन गुर्जर, जोधपुर के निवृत्त अतिरिक्त एस.पी. श्री सी. एम. नवल, जयपुर के सेंटर फोर दलित राइट्स के श्री पी. एल. मिमरोथ, मजदूर किसान शक्ति संगठन के कार्यकर्ता श्री भंवर मेघवंशी और महिलाओं तथा श्रमिकों की समस्याओं के समाधानकर्ता विद्वान सुश्री वर्षा गांगुली ने उपस्थिति दी थी।

इस लोक सुनवाई में पीड़ितो एवं उनके परिवारों के अतिरिक्त 300 लोगों ने भाग लिया था। दलित संसाधन केन्द्र द्वारा सात मामलों में दलितों के प्रति अन्याय विषयक हकीकतें इकट्ठी की गई थी और 55 मामलों में कानूनी समर्थन व मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। जिला स्तरीय कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर में बैठकें आयोजित की गई थी तथा जोधपुर व जयपुर के उच्च न्यायालय के स्तर पर प्राधिकरणों के साथ बैठकें आयोजित की गई थी, ताकि जाग्रति बढ़े। उसमें पारस्परिक समर्थन हेतु कार्यसूची भी बनाई गई थी।

बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के 75 गांवों में धार्मिक रुप से चराई भूमि की रक्षा, गांव की गौचर जमीन की रक्षा, कब्रिस्तान की जमीन व वर्षा के पानी के संग्रह हेतु स्राव क्षेत्रों की हिफाजत जैसे सामुदायिक सम्पदा-संसाधनों की हिफाजत के बारे में तथा उनकी स्थिति के बारे में एक सहभागी अध्ययन हाथ में लिया गया था। कानून होते हुए भी अन्य जातियों के दबाव के कारण दलित जमीनों से अलग पड़े रहे है। उनको सार्वजनिक संपदा संसाधन प्राप्त नहीं होते और इस वजह से थार रेगिस्तान में उनके जीवन और जीवन निर्वाह पर प्रतिकूल असर हो रहा है। दलितों की भूमि के 500 मामले पहचान कर निकाले गए, जिनमें दलित परिवार अपने खेतों में जाने हेतु रास्तों का दावा करते हैं। गैरदलित झूठे दस्तावेजों का उपयोग करते हैं और निजी ट्रस्टों द्वारा दलितों की जमीनें ले ली जाती हैं। 48 असहाय परिवारों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा की विविध योजनाओं का लाभ दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 516 लोगों ने काम की मांग की थी, और उन्होंने जो काम किया है, उसकी रसीद उन्हें 15 दिनों में मिल जाए, ऐसी मांग की थी।

जोधपुर व बाड़मेर जिलों के 50 बेसहारा गांवों में महिलाओं व किशोरियों के मंडलों का गठन किया गया है। उनमें 825 महिलाएं और 400 किशोरियां सदस्य हैं। 45 गांवों की 331 महिलाओं ने सिणधरी, बालोतरा और फलोदी तहसील में क्रमशः 28-4, 28-5 और 22/23-6 को आयोजित महिला सम्मेलनों में भाग लिया था। उनका इरादा मंडल की शक्ति को समझने तथा उनकी समस्याओं पर चर्चा करने का था। सिणधरी व बालोतरा तहसीलों के 32 गांवों की 185 लड़कियों ने जून 2011 में जीवन कौशल संबंधी तीन-दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम में भाग लिया था। उसमें जाति और स्त्री-पुरुष धर्म के आधार पर होने वाले भेदभावों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता के महत्त्व के बारे में चर्चा हुई थी।

विकलांगता के मुद्दे को मुख्य धारा में लाना

अंधजन मंडल के सहयोग में 'संयुक्त राष्ट्र विकलांग अधिकार विषयक प्रस्ताव को चरितार्थ करनाः समावेशी रूप से सीख' के बारे में एक परामर्श सभा आयोजित की गई थी। शिक्षा तथा रोजगार में विकलांगता विषयक रीतियों के पांच केस अध्यपन का प्रायोगिक स्तर

पर दस्तावेजीकरण करवाया था और अंग्रेजी व गुजराती में उसका विवरण परामर्श सभा में प्रस्तुत किया गया था। उसमें विशेषज्ञों सहित कुल 155 लोगों नें भाग लिया था। जिनके केस का दस्तावेजीकरण कराया गया था, उन संगठनों के विशेषज्ञ भी वहां उपस्थित थे। उपरांत, इसके साथ ही, मुख्य सचिव, विकलांगता कमिश्नर और नलसर युनिवर्सिटी के डॉ. अमिता धंदा, ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के श्री राजीव रतूड़ी, दिल्ली युनिवर्सिटी के तीन प्राध्यापक डॉ. अनिता घाई, श्री जगदीश चंदर और डॉ. तन्मय भट्टाचार्य तथा क्रिश्चियन ब्लाइंड मिशन के श्री पद्मनाभम् उपस्थित रहे थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑव् डिजाइन में पहुँच अन्वेषण के बारे में विद्यार्थियों हेतु एक अभिमुखता कार्यक्रम एक्सेस रिसोर्स ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया था। उसमें उनके प्राध्यापकों ने भी भाग लिया था। 'एक्स्प्लोरिंग लीडरशिप क्वालिटीजः एप्रिशियेटिव इन्क्वायरी' के बारे में दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकलांगों व्यक्तियों हेतु आयोजित किया गया था। ऐसा मानदंड रखा गया था कि सहभागी संगठन अमुक व्यक्ति को ही उसमें भेजे। सहभागी संगठनों के 14 विकलांग लोगों और 8 प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया था। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य था कि सहभागी अपनी सुषुप्त शक्ति पहचानें और नेता बनने हेतु आत्मविश्वास प्राप्त करें था।

मानसिक स्वास्थ्य की तीन सहभागी संस्थाओं के विशेष शिक्षकों हेतु शैक्षणिक प्रवास का आयोजन किया गया। उन्होंने अहमदाबाद के उत्थान प्रशिक्षण केन्द्र और सायला के आशीर्वाद विकलांगता ट्रस्ट से संपर्क साधा और उनकी व्यावसायिक प्रवृत्तियों, शैक्षणिक सामग्री, माता-पिता की सहभागिता, शाला और सरकार तथा सगंठनों के संचालकों के साथ के संबंधों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत उन्होंने भी अपने केन्द्रों में नयी व्यावसायिक प्रवृत्तियां शुरू की। अंधजन मंडल के सहयोग से विकलांग किशोरों की यौन समस्याओं और बाल रक्षण के बारे में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। अनेक प्रकार की विकलांगता वाले बालकों के साथ काम करने वाली सात संस्थाओं के 35 लोगों ने उसमें भाग लिया था।

अहमदाबाद में तथा साबरकांठा में विकलांग बालकों के माता-पिता हेतु रोजमर्रा के जीवन की प्रवृत्तियों के बारे में एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। उनमें 22 माताओं, 11 पिताओं, दो भाइयों और मानसिक विकलांगता वाले 20 बालकों ने भाग लिया था। सहभागी संगठनों द्वारा 74 बालकों और वयस्कों की मेडिकल जांच हेतु मदद दी गई। उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार-स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्ति, विकलांगता का प्रमाणपत्र, बस पास, सरकारी योजनाओं के अधीन मकान व रोजगार प्राप्ति हेतु भी मदद दी गई।

विशेष परियोजना

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों की शालाओं में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण हेतु सेटकोम कार्यक्रम

समिति के सदस्यों, विद्वानों की टुकड़ी, आदि-जाति विकास विभाग के प्रतिनिधियों, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और सहभागी शालाओं के 16 सक्रिय शिक्षकों की सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। उसका प्रयोजन इस कार्यक्रम के प्रायोगिक चरण के अनुभवों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना तथा प्रतिक्रिया प्राप्त करना था। साथ ही देखरेख तथा मूल्यांकन हेतु तथा भविष्य में क्रियान्वयन की कार्यनीति गढ़ना था। कार्यक्रम के अनुभव के आधार पर तथा विद्वानों, विद्यार्थियों व शिक्षकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अभ्यासक्रम फिर से निर्मित करने संबंधी प्रक्रिया अप्रैल माह में शुरू हुई। इस हेतु तीन दिवसीय अभ्यासक्रम समीक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। अभ्यासक्रम में सुधार हेतु उसमें चर्चा की गई और सलाहकार समिति की बैठक में से जो सुझाव आए थे उन पर भी चर्चा की गई। कक्षाओं में सुधार करने की और उनका संपादन करने की, साथ ही उनसे संबंधित वर्कबुक तैयार करने की कार्यवाही भी इस स्तर पर की गई। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन को ऐसी कक्षा के नमूने की प्रतियां दी गईं और ब्रिजकोर्स की वर्कबुक भी दी गई। कच्छ में 26 शैक्षणिक केन्द्रों में वे कोहेजन फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा प्रदान की गई थीं।

(2) नागरिक नेतृत्व, शासन और सामाजिक दायित्व

गुजरात में जनवरी-फरवरी 2011 के दौरान इंदिरा आवास योजना की देखरेख हेतु सामाजिक उत्तरदायित्व के साधनों व पद्धति विषयक एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फरवरी-अप्रैल 2011 के दौरान 17 ग्राम पंचायतों में उनका अमल भी किया गया। इस स्तर पर दंत्राल पंचायत के नागरिक नेताओं ने योजना का क्रियान्वयन न होने तथा भ्रष्टाचार होने की शिकायत की थी। जो मुद्दे उभर कर आए उनसे एक पत्रक तैयार किया और अप्रैल-मई 2011 के दौरान होने वाली ग्राम सभाओं में गुजरात सरकार ने इंदिरा आवास योजना के सामाजिक अन्वेषण हेतु उसका उपयोग किया था। उस समय नरेगा का सामाजिक अन्वेषण आयोजित हुआ था और उसके साथ-साथ ही यह भी आयोजित हुआ था।

धोलका, खेड़ब्रह्मा, दसक्रोई और ईडर के 109 नागरिक नेताओं को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनवाडी व गृहनिर्माण जैसे कार्यक्रमों पर देखरेख रखने हेत अभिमुख किया गया था। धोलका, दस्क्रोई व खेडब्रह्मा तहसीलों की 23 ग्राम पंचायत के लिए मोहल्लेवार सामाजिक नक्शे भी तैयार किये गए। इसके लिए समूह चर्चा आयोजित की गई और उन विविध समूहों के साथ उनकी जांच की गई, जो नक्शांकन में सक्रिय रूप से सहभागी नहीं हो सके थे। ऐसे सामाजिक नक्शे तैयार करते समय गांव के समस्त लाभार्थियों को तमाम सरकारी सेवाओं और योजनाओं के संदर्भ में पहचान लिया गया था। सामाजिक सुरक्षा की विविध योजनाओं का लाभ 323 ग्रामवासियों ने लिया। नागरिक नेताओं ने धोलका, ईडर और मोडासा तहसील में सूचनाधिकार संबंध 17 शिविर लगाये। इनमे 130 महिलाओं सहित 684 लोगों ने सरकारी सेवाओं व योजनाओं के बारे में जानकारी मांगी और सूचनाएं प्राप्त करने हेतु 7 अर्जियां आई। सामयिक 'लोकवाचा' का द्वितीय अंक प्रकाशित किया गया। उसमें बीपीएल के नए सर्वे के विवरण दिये गए तथा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने वाले नागरिक नेताओं के बारे में विवरण भी दिये गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में मार्च-अप्रैल 2011 के दौरान समर्थन व सेंटर फॉर अर्बन इक्विटी के साथ संयुक्त रूप से बीएसयूपी प्रोजेक्ट का सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिया गया था। कार्यक्रम की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु लोककेन्द्री व्यवस्था खडी करने का उसका मुख्य प्रयोजन था।

राजस्थान में तीन दिनों के लिए महिला मंडलों की 23 प्रतिनिधियों को बुनियादी सेवाओं की देखरेख के लिए अभिमुख किया गया था। उन्होंने बुनियादी छह सेवाओं पर गुणवत्ता के संदर्भ में देखरेख रखी थी। सरकार स्वयं जो विज्ञापन करती है और लोगों की देखरेख समिति की जो स्थिति है उन बातों पर उसमें ध्यान रखा गया। महिला मंडलों ने सरकार की अक्षम कार्यवाही के 25 मामले और आंगनवाड़ी में भेदभाव का एक मामला हाथ में लिया था। द हंगर प्रोजेक्ट के सहयोग में राजस्थान के 11 जिलों की 14 तहसीलों में ग्राम सभा की स्थिति के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया गया था। अन्य पहलुओं के अलावा, यह अध्ययन मुख्यतया यह दर्शाता है कि ग्राम सभा में शायद ही कभी कोरम पूरा होता हो अथवा उसकी पालना पर शायद ही देखरेख रखी जाती हो। उसके निष्कर्षों पर एक विमर्श सभा में चर्चा की गई। उसमें सरकार व नागरिक समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

गुजरात सरकार के सहयोग में नरेगा के अधीन सामाजिक अन्वेषण और शिकायतों का निवारण

एक अभियान के रूप में छमाही सामाजिक अन्वेषणों का दूसरा दौर राज्य की 13447 ग्राम पंचायतों में हाथ में लिया गया। उनमें से 493 सामाजिक अन्वेषण में 3361 शिकायतें दर्ज हुई। जुलाई 2010 से जून 2011 के मध्य 8373 शिकायतें दर्ज हुई थी। नरेगा के उपरांत, इंदिरा आवास योजना सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम और आम आदमी बीमा रोजगार योजना (वीवीएमसी) हेतु प्रशिक्षण के मॉड्यूल तैयार किये गए और साहित्य भी तैयार किया गया। उनके विवरण लिखने के लिए पत्रक भी तैयार किये गए। एक जिले में एक पंचायत का सामाजिक अन्वेषण कार्यक्रम हाथ में लिया गया और शिकायतें दर्ज कराने हेतु हैल्पलाइन नंबर भी चालू रखा गया। दिसंबर 2010 से जनवरी 2011 के मध्य 79 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिया गया और 497 शिकायतें हाथ में ली गई। उनमें से

अप्रैल-जुलाई 2011 के मध्य 289 शिकायतें हैल्पलाइन पर दर्ज की हुई थी। अप्रैल-जुलाई 2011 के मध्य 1766 शिकायतें दर्ज हुई थी। उनमें से 515 हैल्पलाइन वाली ही थीं, शेष जिले स्तर के मानीटरों द्वारा प्राप्त हुई थीं। उनमें से 25 प्रतिशत शिकायतों को जुलाई 2011 तक समाधान आ गया था। हैल्पलाइन द्वारा जो 489 शिकायतें दर्ज थीं उनमें से 158 अर्थात् 33 प्रतिशत शिकायतों का जुलाई 2011 के दौरान समाधान आ गया था। अहमदाबाद और साबरकांठा जिलों में नागरिक नेताओं को सामाजिक अन्वेषण में सक्रिय रूप से टीआरजी के सदस्य के बतौर सहभागी बनने हेतु प्रोत्साहन दिया गया और उन्होंने अपने इलाकों से शिकायतें ढूंढ निकाली।

(3) आपदा जोखिम घटाने के सामाजिक निर्धारक

पश्चिम राजस्थान में परंपरागत तकनीक से वर्षा के जल को संग्रहीत करन हेतु असहाय परिवारों के लिए 120 टांके बनवाये गए। परिवारों का चयन सामुदायिक सुखांक की गणना के आधार पर किया गया था। लाभार्थियों की पहचान के लिए समुदाय की क्षमता विकसित की गई थी। वस्तुओं की खरीद और निर्माण कार्य पर देखरेख सहभागी एवं उत्तरदायी रूप से कराने के प्रयास किये गए थे। सरकार के सहयोग से 71 टांकों का निर्माण कार्य चल रहा है। सिणधरी, बालोतरा और फलौदी तहसील के 47 गांवों में महिला मंडलों द्वारा सार्वजनिक जल संसाधनों का सहभागी विश्लेषण किया गया। वर्तमान में जो उनकी स्थिति है, उसकी छानबीन की गई। उनके संचालन और रखरखाव हेतु भेदभाव विहीन व्यवस्था निर्मित करने के प्रयास स्वरूप यह काम किया गया। सभी तीनों तहसीलों में तालाब, पाइपलाइन, ट्यूबवेल या हैंडपंप है, पर पानी की उपलब्धता टुकड़ों-टुकड़ों में और अनियमित है अथवा पानी खारा है। सिंचित कृषि हेतु विगत 4 वर्षों में प्रोत्साहन दिया गया जिससे दलित व आदिवासी परिवार हेतु घासचारे की सुविधा हो सके। चालू वर्ष के दौरान बालोतरा, फलौदी और सिणधरी तहसीलों में नए 59 परिवारों को सहभागी प्रक्रिया द्वारा पहचाना गया और उनक खेतों में बुवाई की गई। परिवार की महिला के नाम पर जमीन का यह टुकड़ा दर्ज हो इस पर बल दिया गया।

पिछड़े परिवारों में स्वास्थ्य असहायता खड़ी करने की एक बड़ी वजह होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के रूप में 82 महिलाएं तय की गईं और उनको आंगनवाड़ी के साथ जोड़ा गया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 56 बालकों और धात्री माताओं का आंगनवाड़ी के साथ सम्पर्क हुआ और एक गांव में 4 संस्थागत प्रसूतियां करवाईं। पश्चिम राजस्थान में चौमासे के फौरन बाद प्रदूषित पानी काम में लाने की वजह से महामारी फैली थी। पानी के परीक्षण की किट के उपयोग के बारे में ऐसे 19 गांवों की 30 महिला नेताओं की 7.6.2011 को प्रशिक्षण दिया गया, जिन गांवों में पेयजल की भारी तंगी थी।

विपदा का सामना कर सके, ऐसे सुरक्षित निर्माण कार्य की तकनीक का निदर्शन करने हेतु दलित बस्ती में 9 मकान माटी और फेरों सीमेंट की ईंटों से बनवाये जा रहे हैं। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज और विज्ञान तथा टैक्नोलोजी विभाग के सहयोग से बाडमेर जिले के चावा गांव की महिला श्रमिक तैयार करने हेतु चुना गया और 20 दिनों के मॉड्यूल द्वारा प्रशिक्षण देना तय किया गया, जिसका एक दौर पूरा हुआ है।

मई 2011 में 'आपदा संकट घटाने हेतु राजस्थान गुजरात में सामुदायिक क्षमता वृद्धि' परियोजना का मूल्यांकन किया गया। इसे आपदा संचालन व विकासपरक योजना के विशेषज्ञ तथा ग्राम विकास के विशेषज्ञ द्वारा हाथ में लिया गया। मूल्यांकन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि इस परियोजना ने लघु रूप में भी एक ऐसी परंपरा निर्मित की है, जिसे आज की स्थिति में बंद नहीं किया जा सकता। उनमें से बहुत सी प्रवृत्तियों की शक्ति प्रत्यक्षः बहुत उच्च है। सहभागी गैर-सरकारी संगठनों तथा समुदायों ने भी ऐसा ही भाव व्यक्ति किया था। मूल्यांकनकर्त्ताओं ने यह सिफारिश भी की कि नये प्रयोगों का उचित रूप से दस्तावेजीकरण होना चाहिए और उनका प्रचार-प्रसार भी

होना चाहिए। अकाल और दलितों के संदर्भ में आपदा जोखिम घटाने हेतु जो अन्य जानकारियां व ज्ञान उपलब्ध हुए हों, उनका भी प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

एक्शन एड, केयर, सीआरएस और एक्सफाम जीबी - नामक चार अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संस्थाओं ने गुजरात में 2006 में इंटर-एजेंसी ग्रुप शुरू किया था। इन संस्थाओं ने सामूहिक प्रयासों द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार किया था और गुजरात में विपत्ति के मुकाबले हेतु तैयारी सुधारने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के एक चार्टर पर हस्ताक्षर किये गये थे। प्रवृत्तिलक्ष्यी योजना और बजट को अंतिम रूप दिया तथा सचिवालय हेतु व्यवस्था की गई। 2009 तक में अधिकांश प्रवृत्तियां पूरी की गई और प्रयास हेतु मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि चार में से तीन समूहों को पुनः सक्रिय करने हेतु संभावनाएं टटोलने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। उसका प्रयोजन 2008-09 के दौरान ग्रुप द्वारा की गई प्रवृत्तियां के बारे में सदस्यों का जानकारी देना तथा नये सिरे से इस प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए चर्चा करना था।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

अनुवादः रामनरेश सोनी **ले-आउटः** रमेश पटेल, हितेष पटेल - उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद.

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।